

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग 2-अनुभाग 3क  
PART II-SECTION 3A

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2 ]  
NO. 2 ]

नई दिल्ली, बुधवार, 31 दिसम्बर, 1997/10 पौष, 1919 (शक)  
NEW DELHI. WEDNESDAY DECEMBER 31, 1997/PAUSA 10, 1919 (SAKA)

खण्ड XXVIII ]  
VOL. XXVIII ]

विधि और न्याय मंत्रालय  
(विधायी विभाग)  
राजभाषा खण्ड

नई दिल्ली, - 31 दिसम्बर, 1997/10 पौष, 1919 (शक)

कैन्टोनमेंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, 1937 का हिन्दी अनुवाद, राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है और राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन, यह हिन्दी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा :-

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)  
OFFICIAL LANGUAGES WING

*New Delhi. December 31, 1997/Pausa 10, 1919 (Saka)*

The translation in Hindi of the Cantonment Land Administration Rules, 1937 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963) :-

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

## छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1937

सं० 874, तारीख 20 नवंबर, 1937—केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 280 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1925 का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, जिन्हें उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित रूप में पहले ही प्रकाशित कर दिया गया है, अर्थात् :—

### अध्याय 1

#### साधारण

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1937 है।

(2) इसका विस्तार भारत में सभी छावनियों पर है।

1अ—निरखन—यदि इन नियमों के तत्समान कोई नियम किसी भाग ख राज्य में प्रवृत्त है तो ऐसे नियम, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं।

2. निर्वचन खंड—इन नियमों में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो—

(क) "अधिनियम" से छावनी अधिनियम, 1924 अभिप्रेत है,

(ख) "बाजार" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम की धारा 43क के अधीन बाजार क्षेत्र घोषित किया गया है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा अन्य क्षेत्र भी है, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इन नियमों के प्रयोजनों के लिए बाजार घोषित करे।

(ग) "निर्माण स्थल" से भवन के प्रयोजनों के लिए धारित या धारित किए जाने के लिए आशयित भूमि का भाग अभिप्रेत है, चाहे उस पर कोई भवन निर्मित किया गया हो या नहीं और इसके अन्तर्गत उस पर निर्मित किसी भवन से संलग्न या उससे लगा हुआ खुला मैदान या आंगन भी है,

(घ) "सैनिक" के अन्तर्गत "नौ सैनिक" और "वायु सैनिक" भी है,

(ङ) "सेना संपदा अधिकारी" से इन नियमों के अधीन सैनिक संपदा अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी अभिप्रेत है, और

(च) "सर्वेक्षण संख्यांक" से भूमि का ऐसा भाग अभिप्रेत है, जिसका क्षेत्र छावनी के भूमि अभिलेखों में निर्देशात्मक संख्या के अधीन पृथक रूप से प्रविष्ट किया गया है।

### अध्याय 2

#### भूमि का वर्गीकरण और अंतरण ; किरायों की मानक सारणी ; प्रबंध

3. साधारण भूमि रजिस्टर—(1) सैनिक संपदा अधिकारी अनुसूची 1 में विहित प्ररूप में छावनी में—

(क) बाजार के भीतर, और

(ख) बाजार के बाहर

समस्त भूमि का एक साधारण भूमि रजिस्टर तैयार करेगा।

(2) साधारण भूमि रजिस्टर में केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की, जिसे केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, पूर्व मंजूरी या नियम 10 और नियम 45 के उपबन्धों के अनुसरण में के सिवाय, कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

4. नियम 3 द्वारा विहित साधारण भूमि रजिस्टर के प्रयोजनों के लिए भूमि का वर्गीकरण—

(क) छावनी में भूमि, जो सरकार में निहित है, केन्द्रीय सरकार या ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार इस बात सशक्त करे, दो वर्गों में विभाजित की जाएगी, अर्थात् :—

(i) वर्ग "क" भूमि, जो विनिर्दिष्ट सैनिक प्रयोजनों के लिए अपेक्षित या आरक्षित है; और

(ii) वर्ग "ख" भूमि, जो इस प्रकार अपेक्षित या आरक्षित नहीं है, किन्तु जो सैनिक प्रशासन के संबंध में केन्द्रीय सरकार के कर्तव्यों के प्रभावी रूप से निर्वहन के लिए छावनी में रखी गई है; और

(ख) ऐसी भूमि, जो अधिनियम की धारा 108 के अधीन बोट में निहित है, को वर्ग "ग" भूमि कहा जाएगा।

5. वर्ग "क" भूमि — वर्ग "क" भूमि को केन्द्रीय सरकार या ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे वे इस निमित्त सशक्त करें, निम्नलिखित उपवर्गों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात् :—



(i) वर्ग "क" (1) भूमि, जिसका सैनिक प्राधिकारियों द्वारा मोर्चेबन्दी, बेरकों, भंडारों, आयुधशालाओं, विमान-क्षेत्रों, सैनिक अधिकारियों के बंगलों, जो सरकार की संपत्ति है, परेड के मैदानों, सैनिक आमोद-प्रमोद के मैदानों, बंदूक की रेंज, घास के फार्मों, डेरी फार्मों, ईट के मैदानों, सैनिकों और अस्पतालों के उद्यानों के प्रयोजनों के लिए, जैसा भारत में सेना के संबंध में विनियमों के पैरा 419, 421 और 425 में यथा उपबंधित है और सैनिक प्राधिकारियों की अन्य शासकीय आवश्यकताओं के लिए वस्तुतः उपयोग या अधिभोग किया जाता है।

(ii) वर्ग "क" (2) भूमि, जिसका सैनिक प्राधिकारियों द्वारा वस्तुतः उपयोग या अधिभोग नहीं किया जाता है, किन्तु जिसका अस्थायी रूप से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग या अधिभोग करने पर विनिर्दिष्ट सैनिक आक्षेप विद्यमान हैं।

**स्पष्टीकरण—**इस नियम के प्रयोजन के लिए—

(क) विनिर्दिष्ट सैनिक आक्षेप, ऐसी भूमि के उपयोग या अधिभोग के प्रति विद्यमान समझा जाएगा, जिसका आरक्षण सैनिक बलों के अनुशासन, स्वास्थ्य या कल्याण या छावनी और इसके निवासियों की सुरक्षा या रक्षा के हित में केन्द्रीय सरकार द्वारा वांछनीय घोषित किया गया है; और

(ख) सैनिक आमोद-प्रमोद के मैदानों से ऐसे आमोद-प्रमोद के मैदान अभिप्रेत हैं, जिनका प्रबंध और नियंत्रण अनन्यरूप से सैनिक बलों के सदस्यों में निहित है।

6. वर्ग "ख" भूमि—वर्ग "ख" भूमि को, केन्द्रीय सरकार या ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जिसे वे इस निमित्त सशक्त करें, निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) वर्ग "ख" (1) भूमि, जिसका चर्च संबंधी कार्यों के, जिसके अंतर्गत यूरोपीय कब्रिस्तान भी हैं, प्रशासन में रक्षा विभाग द्वारा या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग या रेल प्रशासन द्वारा वस्तुतः अधिभोग या उपयोग किया जाता है।

(ii) वर्ग "ख" (2) भूमि, जिसका अधिभोग या उपयोग राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किया जाता है या उसके नियंत्रण के अधीन है।

(iii) वर्ग "ख" (3) भूमि, जो इन नियमों के उपबंधों के अधीन किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा धारित की जाती है या जो छावनी संहिता, 1899 या 1912 के उपबंधों के अधीन या पूर्व में प्रवृत्त किसी कार्यपालक आदेश के अधीन, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिनके अधीन केन्द्रीय सरकार, भूमि में अपना सांपत्तिक अधिकार आरक्षित करती है या आरक्षित किया है, धारित की जाती है या जिसे धारित की जाने की उपधारणा की जा सकती है; और

(iv) वर्ग "ख" (4) भूमि, जो किसी अन्य वर्ग में सम्मिलित नहीं की गई है।

7. एक वर्ग से दूसरे वर्ग में भूमि का अंतरण—ऐसी भूमि के, जो सरकार या बोर्ड में निहित है, वर्गीकरण में केन्द्रीय सरकार या ऐसे अन्य प्राधिकारी के सिवाय, जिसे वे इस निमित्त सशक्त करें, किसी अन्य द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और वे शर्तें, जिन पर भूमि एक वर्ग से दूसरे वर्ग में अन्तरित की जा सकेगी, केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम द्वारा, जो लागू हो, शासित होगी :

परन्तु यह कि वर्ग "ख" (4) भूमि नियम 15 से नियम 48 द्वारा विहित प्राधिकारी और शर्तों के अधीन वर्ग "ख" (3) में अंतरित की जा सकेगी।

8. किराए की मानक सारणी—सेना संपदा अधिकारी कलक्टर से छावनी में कृषि और गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए स्थलों को, स्थल की स्थिति, भूमि की प्रकृति, पार्श्वस्थ कृषि भूमि या पड़ोस में भवन स्थलों के लिए प्रभारित दलों को ध्यान में रखते हुए आवेदन के लिए उपयुक्त किराए की मानक सारणी की अनुसूची-II में विहित प्ररूप में समय-समय पर संकलन करेंगे।

9. भूमि का प्रबंध—(1) वर्ग "क" (1) भूमि का प्रबंध, ऐसे क्षेत्रों और क्षेत्रों के वर्गों को छोड़कर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर सैनिक प्राधिकारियों के अपने ठीक नियंत्रण के अधीन घोषित की जाएं, सेना संपदा अधिकारी को सौंपा जाएगा।

(2) वर्ग "क" (2) भूमि का प्रबंध सेना संपदा अधिकारी में निहित होगा।

(3) वर्ग "ख" (1) भूमि का प्रबंध भूमि के अधिभोगी विभाग या प्रशासन में निहित होगा।

(4) वर्ग "ख" (2) भूमि का प्रबंध भूमि की अधिभोगी या उस पर नियंत्रण रखने वाली राज्य सरकार में निहित होगी।

(5) सभी वर्ग "ख" (3) भूमि और वर्ग "ख" (4) भूमि का प्रबंध सेना संपदा अधिकारी को सौंपा जाएगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार किसी ऐसी भूमि का प्रबंध बोर्ड को सौंप सकेगी।

(6) वर्ग "ग" भूमि का प्रबंध अधिनियम की धारा 108 के अधीन बोर्ड में निहित होगा।

### अध्याय 3.

#### सेना संपदा अधिकारी द्वारा प्रबंध

10. साधारण भूमि रजिस्टर का रखा जाना—(1) सेना संपदा अधिकारी बाजारों में भूमि से भिन्न सभी भूमियों के संबंध में जिसका प्रबंध बोर्ड को सौंपा गया है या उसमें निहित है, नियम 3 के अधीन तैयार किया गया साधारण भूमि रजिस्टर रखेगा और उसके स्तंभ 1 में सभी नामांकन दर्ज करेगा और उसमें निम्नलिखित प्रविष्टियां करेगा।



(i) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 54, धारा 59, धारा 107 या धारा 123 के अधीन रजिस्टर्ड छावनी की भूमि में हिताधिकार के सभी अंतरण, जिसकी जानकारी छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 287 की उपधारा (2) के अधीन या जब ऐसे अंतरण के कारण रजिस्टर के किसी स्तंभ में प्रविष्टियों में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया हो, बोर्ड द्वारा उसे भेज दी गई है।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई ऐसे अधिकार या हित की प्रत्येक मंजूरी।

(iii) अधिनियम की धारा 73 के अधीन ऐसे अधिकार या हित के लिए गए अंतरण की, नियम 45 के अधीन बोर्ड द्वारा उसे भेजी गई प्रत्येक रिपोर्ट।

(iv) छावनी संपत्ति नियम, 1925 के नियम 4 के अधीन बोर्ड द्वारा किए गए भूमि में हित के प्रत्येक अर्जन।

(v) छावनी संपत्ति नियम, 1925 के नियम 6 के अधीन बोर्ड को किए गए भूमि के प्रत्येक अंतरण या बोर्ड से किए गए पुनर्ग्रहण या नियम 9 के अधीन बोर्ड द्वारा किए गए अंतरण।

(vi) वर्ग "क" भूमि का प्रत्येक अंतरण और सेना की एक सेवा से केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किए गए उसी शीर्ष के विभाग के नियंत्रण के अधीन दूसरी सेवा में वर्ग "क" भूमि का प्रत्येक अंतरण।

(vii) नियम 7 के अधीन मंजूर किए गए भूमि के वर्गीकरण में प्रत्येक परिवर्तन।

(viii) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और रेल प्रशासन के विभागों के बीच अधिभोग के प्रत्येक अंतरण।

(2) सेना संपदा अधिकारी पूर्वोक्तानुसार ऐसे किसी अधिकार या हित के संबंध में रजिस्टर में भी प्रविष्टि करेगा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह हो गए हैं और उसके संबंध में उसे कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है।

[ए० आई० आर० 1989 पटना (एन० ओ० सी० 56)]

11. प्राप्तियों का जमा किया जाना—सेना संपदा अधिकारी के प्रबंध के लिए सौंपी गई भूमि से सभी प्राप्तियां पूर्णरूप से केन्द्रीय सरकार के पास जमा की जाएगी।

12. सेना संपदा अधिकारी का भू-राजस्व रजिस्टर—सेना संपदा अधिकारी वर्ग "क" (2) और वर्ग "ख" (3) में की सभी भूमियों के संबंध में, जो उसके प्रबंध के लिए सौंपी गई हैं और जिनसे राजस्व प्राप्त हो सकता है, अनुसूची 3 में विहित प्ररूप में रजिस्टर रखेगा। इस रजिस्टर का नाम सेना संपदा अधिकारी का उभू-राजस्व रजिस्टर होगा और यह प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से तैयार किया जाएगा।

#### अध्याय 4

#### वर्ग "क" भूमि के लिए विशेष नियम

13. वर्ग "क" भूमि की अनुसूचियां—(1) सेना संपदा अधिकारी, प्रत्येक छावनी के संबंध में, जिसमें भूमि उसके द्वारा प्रबंध के लिए सौंपी गई है, वर्ग "क" (1) और वर्ग "क" (2) में भूमि के नक्शे और अनुसूचियां रखेगा।

(2) नक्शों और अनुसूचियों में केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(3) प्रत्येक वर्ष की पहली तारीख के पश्चात् और पहली जुलाई के पूर्व, यथाशक्य शीघ्र, सेना संपदा अधिकारी वर्ग "क" भूमि के नक्शों और अनुसूचियों की शुद्धता के बारे में, केन्द्र के कमान अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र, उस पर किसी अप्राधिकृत संरचनाओं या अधिक्रमणों की रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

14. वर्ग "क" भूमि के लिए विशेष नियम—(1) वर्ग "क" (1) भूमि का प्रशासनिक नियंत्रण, जिसके अन्तर्गत उस पर अधिक्रमणों का पता चलना और उसे रोका जाना भी है, भूमि के तत्समय अधिभोगी सेना प्राधिकारियों में निहित होगा। वर्ग "क" (2) भूमि का प्रशासनिक नियंत्रण केन्द्रीय सरकार में निहित होगा।

(2) सेना संपदा अधिकारी वर्ग "क" (1) भूमि का प्रबंध (जिसके अन्तर्गत भूमि के संसाधनों का विकास, फलों के भोगाधिकार का व्ययन और वृक्षों के रोपण और रखरखाव भी है) केन्द्र के कमान अधिकारी के, जिसके विवेकाधिकार पर व्यय सेना संपदा अधिकारी को किए गए आबंटन के भीतर उपगत किया जाएगा, के परामर्श से और उसके साधारण पर्यवेक्षण के अधीन और सेना क्षेत्रों में वृक्षारोपण और भूमि की सिंचाई के संबंध में प्रवृत्त सेना विनियमों के अनुसार करेगा।

(3) वर्ग "क" की भूमि का नियम 5 के उपनियम (1) में कथित प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग या अधिभोग, केन्द्रीय सरकार या ऐसे प्राधिकारी जिसे वे इस निमित्त नियुक्त करे की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।

परन्तु वर्ग "क" (1) भूमि का, जो सेना प्राधिकारियों के प्रबंधाधीन है, सरकारी कार्य करने के प्रयोजन के लिए ठेकेदारों द्वारा सामग्रियों के मण्डारण के लिए अस्थायी रूप से उपयोग उन प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा। ऐसी अनुज्ञा कार्य के भारसाधक सेना इंजीनियर सेवा के अधिकारी द्वारा लिखित में दी जाएगी और केवल उस अवधि के लिए ही प्रवर्तन में रहेगी, जो वह उचित समझे, किन्तु यह अवधि किसी भी दशा में उस कार्य या संकल्प के जिसके लिए सामग्रियां मंडारित की गई थीं, पूरा होने की तारीख से तीन मास से अधिक नहीं होगी।

(4) वर्ग "क" (2) भूमि को साधारणतया खाली रखा जाएगा, किन्तु इसका अस्थायी रूप से उपयोग या अधिभोग, नियम 39 के



अधीन सेना संपदा अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्त किया जा सकेगा या इसे सेना संपदा अधिकारी द्वारा कमान के मुख्य कमान अधिकारी की पूर्व मंजूरी से प्राइवेट संधि द्वारा पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए या केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से किसी अन्य अवधि के लिए, पट्टे पर दिया जा सकेगा :

परन्तु जहां ऐसी कोई भूमि कृषि प्रयोजनों के लिए पट्टे पर दी गई है वहां नियम 32 के उपबंध लागू होंगे।

(5) वर्ग "क" भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई भवन, चाहे स्थायी हो या अस्थायी, केन्द्रीय सरकार या ऐसे अन्य प्राधिकारी की, जिसे केन्द्रीय सरकार उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, पूर्व मंजूरी और ऐसी शर्तों के अधीन रहने के बिना, जो केन्द्रीय सरकार या उक्त प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाए निर्मित नहीं किया जाएगा :

परन्तु—

(क) उपनियम (4) के अधीन सेना संपदा अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्त वर्ग "क" (2) भूमि पर केन्द्र के कमान अधिकारी की पूर्व मंजूरी से अस्थायी विनिर्माण अनुज्ञात किया जा सकेगा; और

(ख) उपनियम (4) के अधीन सेना संपदा अधिकारी द्वारा पट्टे पर दी गई वर्ग "क" (2) भूमि पर पट्टा मंजूर करने वाले प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से अस्थायी विनिर्माण अनुज्ञात किया जा सकेगा।

#### अध्याय 5

#### सेना संपदा अधिकारी द्वारा भूमि का व्ययन

15. भूमि के विक्रय का प्रतिबंध—केन्द्रीय सरकार के निश्चित आदेश के बिना किसी भी प्रयोजन के लिए भूमि का विक्रय प्रतिषिद्ध है।

16. निर्माण स्थल, पट्टे (साधारण निबंधन)—(1) निर्माण स्थल साधारणतया पट्टे द्वारा प्रथम बार में तीस वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए दिया जाएगा जिसका पट्टेदार के विकल्प पर समान अन्तरालों पर नब्बे वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए नवीकरण किया जा सकेगा।

(2) पट्टा, वार्षिक किराए के अधीन होगा, जो नियम 19 में विहित रीति में नियत किया जाएगा जो पट्टे के प्रत्येक नवीकरण पर पुनरीक्षण के लिए दायी होगा। पट्टे के संबंध में एक प्रारंभिक प्रीमियम प्रभारित किया जाएगा और पट्टा, ऐसे व्यक्ति को विक्रय किए जाने के लिए, जो प्रीमियम के रूप में सबसे ऊंची रकम का संदाय करना स्वीकार करे, लोक नीलामी के लिए पेश की जाएगी।

(3) जब पहली या पश्चात्तर्ती वर्षों की अवधि की समाप्ति पर पट्टे के नवीकरण का समय आएगा, तब ऐसी नवीकरण के लिए अनुसूची 4 में विहित प्ररूप में एक अनुबंध निष्पादित किया जाएगा।

17. निर्माण स्थलों के लिए आवेदन—(1) सेना संपदा अधिकारी के प्रबंधाधीन भूमि पर निर्माण स्थलों के लिए आवेदन पत्र

अनुसूची V में सुदृढ विहित प्ररूप में सेना संपदा अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(2) प्रत्येक आवेदन पत्र में अपेक्षित भूमि की स्थिति, निश्चित प्रयोजन, जिसके लिए इसकी मांग की गई है और आवेदक द्वारा पहले से धारित की गई छावनी की भूमि, यदि कोई हो, का क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जाएगा और इसके साथ आवेदक के खर्च पर तैयार किए गए आवेदित क्षेत्र का नक्शा होगा।

18. केन्द्र के कमान अधिकारी द्वारा अस्वीकार किए जाने पर प्रक्रिया—सेना संपदा अधिकारी केन्द्र के कमान अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा और केन्द्र का कमान अधिकारी आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा, जिसके लिए कारण लेखबद्ध किए जाएंगे, जो आवेदन पत्र में दर्ज किए जाएंगे तथा आवेदन पर, नियम 29 में विहित रीति में फाइल किए जाएंगे। केन्द्र के कमान अधिकारी के विनिश्चय की सूचना आवेदक को दी जाएगी।

19. केन्द्र के कमान अधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने पर प्रक्रिया, किराया और प्रीमियम की आरक्षित कीमत का नियत किया जाना—(1) केन्द्र के कमान अधिकारी द्वारा आवेदन अनुमोदित कर दिए जाने की दशा में, सेना संपदा अधिकारी इसे केन्द्रीय सरकार या ऐसे अन्य प्राधिकारी को भेजेगा, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करे और यदि केन्द्रीय सरकार या नियुक्त किया गया प्राधिकारी आवेदन को अनुमोदित कर देता है तो वह स्थल का सर्वेक्षण करने और सीमांकन करने, यदि आवश्यक हो, के लिए कार्यवाही करेगा और नियम 8 के अधीन तैयार की गई किराए की मानक सारणी द्वारा विहित दर के अनुसार प्रभारित किया जाने वाला वार्षिक किराया और पट्टे के संबंध में प्रीमियम के लिए ऐसी आरक्षित कीमत, जो उचित प्रतीत हो, नियत करेगा।

(2) किसी भी दशा में इस प्रकार नियत की गई आरक्षित कीमत जनता को प्रकट नहीं की जाएगी या वार्षिक किराया, किराए की मानक सारणी द्वारा नियत दर से निम्नतर दर पर प्रभारित नहीं किया जाएगा।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार या नियुक्त प्राधिकारी आवेदन को अस्वीकार कर देता है तो सेना संपदा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र पर इस आशय की प्रविष्टि दर्ज की जाएगी।

20. सर्वेक्षण और सीमांकन—(1) आरक्षित कीमत परिकल्पित की जाएगी जिससे कि निर्माण के प्रयोजनों के लिए, स्थल का सर्वेक्षण और सीमांकन करने का खर्च यदि कोई हो और किसी व्यय के, जो भूमि को तैयार करने और अभिन्यास में उपगत हो, जिसके अन्तर्गत आवेदन के अधीन स्थल भी हैं, अनुपात को उसमें शामिल किया जा सके।

(2) ऐसे सर्वेक्षण और सीमांकन का खर्च आवेदक द्वारा जमा किया जाएगा और अन्ततः प्रीमियम के रूप में वसूल की गई कीमत से उसकी कटौती की जाएगी।

21. नीलामी की सूचना—सेना संपदा अधिकारी तथा अनुसूची VI में विहित प्ररूप में एक सूचना प्रकाशित करेगा, जिसमें



वह तारीख जब, समय और स्थान, जहां और वे शर्तें जिनके अधीन आवेदित स्थान का पट्टा बेचा जाएगा, का कथन होगा।

22. नीलामी—सेना संपदा अधिकारी नियत तारीख और समय तथा स्थान पर, ऐसे व्यक्ति को जो प्रीमियम के रूप में सबसे ऊंची रकम का संदाय करना स्वीकार करेगा, नीलामी द्वारा पट्टा विक्रय करने के लिए कार्यवाही करेगा :

परन्तु किसी भी दशा में पट्टे का विक्रय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि नियम 19 के अधीन नियत आरक्षित कीमत नहीं बोली जाएगी।

23. सफल बोली बोलने वाले द्वारा निक्षेप—सफल बोली लगाने वाले से यह अपेक्षित होगा कि वह अपनी बोली की रकम का 10 प्रतिशत तुरन्त जमा करा दे और नीलामी की पुष्टि के तीस दिन के भीतर अधिशेष कीमत का संदाय न करने की दशा में, निक्षेप छोड़ने की सहमति देने के करार पर हस्ताक्षर करे।

24. नीलामी की पुष्टि—सेना संपदा अधिकारी नीलामी के परिणाम की रिपोर्ट करेगा और कार्यवाहियों को कलक्टर को उसकी सहमति के लिए भेजेगा। तत्पश्चात् कार्यवाहियों को कमान के मुख्य कमान अधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जिसे केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उसके अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा और यदि कमान के मुख्य कमान अधिकारी या नियुक्त प्राधिकारी विक्रय को अनुमोदित कर देता है तो उसकी सम्यकतः पुष्टि कर दी गई समझी जाएगी:

परन्तु यदि स्थल का प्राक्कलित बाजार मूल्य 10,000 रु० से अधिक होता है तो विक्रय की पुष्टि कर दी गई समझे जाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन भी अपेक्षित होगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए बाजार मूल्य, यथासंभव, परिक्षेत्र में भवन निर्माण प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि के, जो अधिभोग में नहीं है, वास्तविक विक्रयों के आधार पर प्राक्कलित की जाएगी, किन्तु यदि बाजार मूल्य ऐसे आधार पर प्राक्कलित नहीं किया जा सकता है तो इसे स्थल के वार्षिक मूल्य का बीस गुना मानकर निकाला जाएगा। वार्षिक मूल्य की संगणना करने में नियत किराए और नीलामी द्वारा वसूल किए गए प्रीमियम को भी ध्यान में रखा जाएगा।

25. कलक्टर की शक्ति—(1) कलक्टर नियम 24 के अधीन उसे भेजी गई कार्यवाहियों की प्राप्ति पर, अपनी सहमति अभिव्यक्त करने से पहले अपना यह समाधान करेगा कि—

(क) संपूर्ण कार्यवाहियां इन नियमों के अनुसार कड़ाई से चलाई गई हैं; और

(ख) वार्षिक किराया और नीलामी में पट्टे के संबंध में प्रीमियम के लिए वसूल की गई कीमत उचित है।

(2) यदि कलक्टर का इन दोनों में से किसी भी बात पर समाधान नहीं होता है तो वह कार्यवाहियों को इस सिफारिश के साथ कि कार्यवाहियां रद्द कर दी जाएं, सेना संपदा अधिकारी को वापस भेज देगा और तत्पश्चात् नए सिरे से कार्यवाहियां चलाई जाएंगी और इस नियम के पूर्वगामी उपबंध ऐसी नई कार्यवाहियों को लागू होंगे।

(3) यदि कलक्टर का यह विचार है कि स्थल का व्ययन अपने आप किसी कारण से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है तो वह कार्यवाहियों को ऐसा करने के अपने कारणों के कथन सहित और इस अनुरोध के साथ सेना संपदा अधिकारी को वापस भेज सकेगा कि मामले पर उसकी सिफारिशों के अनुसार पुनर्विचार किया जाए।

(4) यदि केन्द्र का कमान अधिकारी कलक्टर की सिफारिशों से सहमत नहीं होता है तो कार्यवाहियों को, यदि स्थल का प्राक्कलित बाजार मूल्य 5,000 रु० से अधिक नहीं है, कमान के मुख्य कमान अधिकारी के और अन्य सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार के आदेशों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

26. प्राइवेट करार द्वारा पट्टे का व्ययन—(1) नियम 16 से नियम 24 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सेना संपदा अधिकारी, आपवादिक मामलों में, जिसके लिए आपवादिक कारण लेखबद्ध किए जाएंगे, तथा केन्द्रीय सरकार या ऐसे अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, जिसे इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार नियुक्त करे, नियम 20 में विहित किए गए अनुसार सर्वेक्षण और सीमांकन के खर्च का निक्षेप या नियम 22 द्वारा विहित किए गए अनुसार पट्टे की नीलामी को या दोनों को अभिमुक्त कर सकेगा और प्राइवेट करार द्वारा किसी स्थल को, किराए की ऐसी दर पर और ऐसे प्रीमियम के संदाय पर, जो केन्द्रीय सरकार या नियुक्त प्राधिकारी प्रत्येक मामले में अनुमोदित करे, पट्टे पर दे सकेगा।

(2) कोई पट्टा उपधारा (1) के अधीन ऐसे स्थल के संबंध में, पूर्णतः या भागतः भी दिया जा सकेगा, जो विभिन्न निबंधनों पर दी गई मंजूरी के द्वारा पहले से ही अधिभोग में है, यदि प्राप्तिकर्ता ने मंजूरी सम्यक रूप से अभ्यर्पित कर दी हो।

27. लोप किया गया।

28. पट्टों का निष्पादन—(1) जैसे ही नीलामी की सम्यकतः पुष्टि कर दी जाती है (या जहां नियम 26 के अधीन पट्टा मंजूर करने का विनिश्चय किया गया है) सफल निविदाकार से यह अपेक्षित होगा कि वह अनुसूची 8 में विहित प्ररूप में स्थल के लिए पट्टा निष्पादित करे।

(2) पट्टे को केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए अधिकारी द्वारा परिषद् के गवर्नर जनरल की ओर से निष्पादित किया जाएगा।

(3) पट्टे की दूसरी प्रति अनुसूची 16 में विहित प्ररूप में एक लिफाफे में परिरक्षित रखी जाएगी।

29. मंजूरी रजिस्टर, भवन निर्माण स्थल—(1) नियम 17 के अधीन आवेदन को, जब उसमें सभी प्रविष्टियां पूरी कर दी जाएंगी, सेना संपदा अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखे गए अलग पन्ने वाले रजिस्टर में फाइल किया जाएगा।

(2) संपूर्ण खंड को, जब यह उपयुक्त आकार की हो जाए, जित्तबद्ध किया जाएगा और एक नया रजिस्टर खोला जाएगा।

(3) इस रजिस्टर का नाम सेना संपदा अधिकारी का मंजूरी रजिस्टर (भवन निर्माण स्थल) होगा।



30. मंजूरी का अभिलेख—कार्यवाहियों की समाप्ति पर सेना संपदा अधिकारी, सेना संपदा अधिकारी के भू-राजस्व रजिस्टर और साधारण भूमि रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज करेगा।

31. विशेष अवधियों के लिए और विशेष निबंधनों पर पट्टे—(1) 30 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए भवन स्थल के लिए पट्टा या शाश्वत रूप से पट्टा अनुसूची 9 और अनुसूची 10 में विहित प्रारूपों में सेना संपदा अधिकारी द्वारा ऐसे मामलों में दिया जा सकेगा, जहां विशेष कारणों से ऐसी प्रक्रिया केन्द्रीय सरकार को लाभप्रद प्रतीत हो:

परन्तु कोई ऐसा पट्टा कलक्टर के पूर्व परामर्श और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं दिया जाएगा:

परन्तु यह भी कि प्रत्येक अन्य मामले में नियम 16 से नियम 30 में विहित प्रक्रिया लागू होगी।

(2) स्थायी रूप में भवन निर्माण स्थल का पट्टा, यदि स्थल की लोक या धार्मिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है और अनुसूची 11 में विहित पट्टे के अधिक अनुकूल रूप में प्रयोग न्यायसंगत है, तो अनुसूची 11 में विहित प्रारूप में और नियम 26 में विहित रीति में सेना संपदा अधिकारी द्वारा दिया जा सकेगा:

परन्तु ऐसा कोई पट्टा कलक्टर के पूर्व परामर्श और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं दिया जाएगा।

32. कृषि भूमि पट्टे—(1) सेना संपदा अधिकारी के प्रबंध के लिए सौंपी गई कृषि भूमि के व्ययन की पद्धति पट्टे द्वारा होगी।

(2) ऐसी अवधि, जिसके लिए और वह व्यक्ति, जिसे पट्टा दिया जाएगा, धृति का विस्तार, उसके लिए संदेय किराया और पट्टे के निबंधन और शर्तें वह होगी, जो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाए।

33. लोप किया गया।

34. कृषि पट्टों के अभिलेख—(1) सेना संपदा अधिकारी अनुसूची 8 में विहित प्रारूप में एक पृथक रजिस्टर रखेगा, जो कृषि भूमियों के व्ययन का लगातार अभिलेख बनेगा।

(2) रजिस्टर का नाम सेना संपदा अधिकारी का अनुदान रजिस्टर (कृषि भूमि) होगा।

(3) इस रजिस्टर के प्रयोजन के लिए, कृषि भूमि को पांच या छह से अनधिक पृथक धृतियों वाले सुविधाजनक आकार के ब्लाकों में विभाजित किया जाएगा, रजिस्टर में एक पृष्ठ भूमि के प्रत्येक ब्लाक के लिए दिया जाएगा और उसके सामने वाले पृष्ठ में सर्वेक्षण नक्शे से नकल किया गया ब्लाक का नक्शा दर्ज किया जाएगा।

35. कृषि पट्टों का निष्पादन—(1) कृषि भूमि के पट्टेदार, उनके लिए अनुसूची 14 में विहित प्रारूप में पट्टा निष्पादित करेंगे।

(2) पट्टा, केन्द्रीय सरकार की ओर से, उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाएगा और

पट्टे की दूसरी प्रति को सेना संपदा अधिकारी के कार्यालय में रखा जाएगा।

(3) दूसरी प्रति को अनुसूची 16 में विहित प्रारूप में एक लिफाफे में परिरक्षित रखा जाएगा।

टिप्पण—कृपया पट्टे निष्पादित करने के लिए सशक्त किए गए अधिकारियों के लिए उपबंध 2 देखें।

36. कृषि भूमि की मंजूरी का अभिलेख—कार्यवाहियों की समाप्ति पर सेना संपदा अधिकारी, सेना संपदा अधिकारी के मंजूरी रजिस्टर (कृषि भूमि), सेना संपदा अधिकारी के भू-राजस्व रजिस्टर और साधारण भूमि रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज करेगा:

परन्तु साधारण भूमि रजिस्टर के कालम 1 में चार वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए किसी कृषि भूमि के पट्टे को दर्ज करना आवश्यक नहीं होगा।

37. प्रकीर्ण प्रयोजनों के लिए पट्टा—(1) सेना संपदा अधिकारी केन्द्र के कमान अधिकारी की सहमति से, इन नियमों के अन्तर्गत अन्यथा न आने वाले किसी प्रयोजन के लिए वर्ग "ख" (4) की भूमि का पट्टा मंजूर कर सकेगा:

परन्तु प्रत्येक मामले में, उन निबंधनों जिन पर पट्टे की प्रस्थापना की गई है और पट्टे के प्रारूप के संबंध में केन्द्रीय सरकार या ऐसे अन्य प्राधिकारी की, जिसे केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, पूर्व मंजूरी प्राप्त की जाएगी।

(2) इस नियम के अधीन स्थल की मंजूरी के लिए आवेदन, अनुसूची 15 में विहित मुद्रित प्रारूप में सेना संपदा अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) सभी आवेदनों में अपेक्षित भूमि की अवस्थिति और प्रयोजन, जिसके लिए वह अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा और इसके साथ आवेदक के खर्चे पर तैयार किया गया उक्त भूमि का स्थल नक्शा लगाया जाएगा।

(4) आवेदन मंजूर कर लिए जाने पर, जब उसमें सभी प्रविष्टियां पूरी कर ली जाएंगी; तब इसे इस प्रयोजन के लिए सेना संपदा अधिकारी द्वारा रखे गए खुले पन्ने के रजिस्टर में, जिसका नाम सेना संपदा अधिकारियों का मंजूरी रजिस्टर (प्रकीर्ण स्थल) होगा, में लगा दिया जाएगा। पट्टे की दूसरी प्रति को अनुसूची 16 में विहित प्रारूप में एक लिफाफे में परिरक्षित किया जाएगा।

(5) आवेदन अस्वीकार कर दिए जाने की दशा में, आवेदन पत्र पर उसकी प्रविष्टि कर दी जाएगी और पत्र को उपनियम (4) में विहित रीति में फाइल में लगा दिया जाएगा।

38. प्रकीर्ण प्रयोजन के लिए पट्टे पर स्थल का व्ययन—नियम 37 के अधीन किसी स्थल की मंजूरी के लिए आवेदन पर नियम 20 से नियम 24 में विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, किन्तु मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा विशेष कारणों से जो लेखबंद किए जाएंगे, उस पर नियम 26 में विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी।



39. अनुज्ञप्ति के अधीन भूमि का अस्थायी अधिभोग—(1) पूर्वगामी किन्हीं नियमों के उपबंधों के होते हुए भी किन्तु नियम 14 के उपबंध के अधीन रहते हुए, सेना संपदा अधिकारी, उसके प्रबंधाधीन सौंपी गई किसी वर्ग क (2) या ख (4) भूमि के अस्थायी उपयोग या अधिभोग के लिए एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अनुसूची 17 में विहित प्ररूप में अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा।

(2) ऐसी किसी अनुज्ञप्ति के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस की रकम सेना संपदा अधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी।

(3) सेना संपदा अधिकारी अनुसूची 18 में विहित प्ररूप में एक रजिस्टर रखेगा, जिसका नाम सेना संपदा अधिकारियों का मंजूरी रजिस्टर (अस्थायी अनुज्ञप्तियाँ) होगा, जिसमें ऐसी अनुज्ञप्तियों की मंजूरी दर्ज की जाएगी, किन्तु ऐसी अनुज्ञप्तियों की मंजूरी किसी अन्य रजिस्टर में दर्ज करना आवश्यक नहीं होगा।

40. भूमि के अस्थायी अधिभोग की अनुज्ञप्तियाँ मंजूर करने के अधिकार का अंतरण—नियम 39 में अंतर्विष्ट किसी बाल के होते हुए भी सेना संपदा अधिकारी, कमान के मुख्य कमान अधिकारी की पूर्व मंजूरी से और ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो उसके द्वारा प्रत्येक मामले में अनुमोदित किए जाएँ, विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए नियम 39 में विहित रीति में और छावनी के ऐसे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में जो सेना संपदा अधिकारी के प्रबंधाधीन हैं, घास के व्ययन का अधिकार और अनुज्ञप्तियाँ मंजूर करने के अधिकार का बोर्ड को अंतरण करने के लिए बोर्ड के साथ करार कर सकेगा।

41. पट्टों के विशेष शर्तों—केन्द्रीय सरकार किसी भी दशा में पट्टों के विहित प्ररूप में परिवर्तन मंजूर कर सकेगी।

42. लोप किया गया।

#### अध्याय 6

#### छावनी बोर्ड द्वारा प्रबंध

43. प्रबंध के संबंध में लागू होने वाली साधारण शर्तें—नियम 9 के अधीन बोर्ड को सौंपा गया भूमि का प्रबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् :—

(i) कि ऐसा प्रबंध बोर्ड को भूमि में कोई सांपत्तिक अधिकार और उसके विक्रय, विनिमय या उसे छोड़ देने का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करता है, और केन्द्रीय सरकार, किसी भी समय बोर्ड के प्रबंधन के लिए इस प्रकार सौंपी गई किसी भूमि के किसी विशिष्ट क्षेत्र के उपयोग या अधिभोग पर ऐसे निबंधन अधिरोपित कर सकेगी, जो वह लोक हित में आवश्यक समझे;

(ii) कि बोर्ड को केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना अधिनियम के प्रयोजनों के लिए या इसके अपने प्रयोजनों के भूमि का अधिभोग या उपयोग करने की शक्ति नहीं होगी; किन्तु पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए अपेक्षित भूमि को नियम 7 के

अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ग "ग" में अंतरित किया जा सकेगा, बोर्ड में निहित किया जा सकेगा;

(iii) कि भूमि में सांपत्तिक अधिकारों को प्रभावित करने वाला वाद केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध लाया जाएगा न कि किसी द्वारा या उसके विरुद्ध, किन्तु ऐसे मुकदमों का खर्च बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा;

(iv) कि भूमि से सभी प्राप्तियाँ पूर्णतया छावनी निधि में जमा की जाएंगी;

(v) कि केन्द्रीय सरकार, किसी भी समय भूमि या उसके किसी भाग का सीधा प्रबंध, बोर्ड को उसके लिए किसी प्रतिकार का संदाय किए बिना या उन निबंधनों के प्रतिकूल, जिन पर प्रबंध बोर्ड को सौंपा गया है, पुनः वापस लेने के लिए हकदार होगी;

परन्तु बोर्ड को, इसे लिए जाने से पूर्व किसी ऐसी कार्यवाई के संबंध में अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा और ऐसी किसी आक्षेप पर जो वह देना चाहे, विचार किया जाएगा;

(vi) कि सेना संपदा अधिकारी, किसी भी समय, बोर्ड से इसके कब्जे में या इसके नियंत्रण के अधीन भूमि से संबंधित किसी अभिलेख, पत्राचार, नक्शे, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा;

परन्तु केन्द्रीय सरकार, बोर्ड को किसी भूमि का प्रबंध सौंपते समय :—

(i) शर्त (iii) का उपांतरण करते हुए यह निदेश दे सकेगी कि उस शर्त में निर्दिष्ट मुकदमों का खर्च बोर्ड द्वारा वहन किए जाने के बजाए केन्द्रीय सरकार द्वारा या तो पूर्णतया या ऐसे वादों की बाबत, जिन्हें केन्द्रीय सरकार ठीक समझे वहन किया जाएगा;

(ii) शर्त (iv) का उपांतरण करते हुए यह निदेश दे सकेगी कि भूमि से सभी प्राप्तियाँ या विनिर्दिष्ट प्रकार की प्राप्तियाँ, छावनी निधि में जमा किए जाने के बजाए केन्द्रीय सरकार के पास जमा की जाएंगी; और

(iii) ऐसी अन्य शर्तें अधिरोपित कर सकेगी, जो भूमि के प्रबंध के संबंध में वह ठीक समझे।

44. साधारण भूमि रजिस्टर, छावनी बोर्ड—सेना संपदा अधिकारी, बाजारों में ऐसी सभी भूमियों की बाबत, जिनका प्रबंध बोर्ड को सौंपा गया है या उसमें निहित है नियम 3 के अधीन तैयार किए गए साधारण भूमि रजिस्टर के उद्घरण बोर्ड को भेजेगा।

45. साधारण भूमि रजिस्टर का रखा जाना—(1) बाजारों में ऐसी भूमि की बाबत, जिनका प्रबंध बोर्ड को सौंपा गया है या उसमें निहित है, नियम 10 के अधीन साधारण भूमि रजिस्टर रखने वाले सेना संपदा अधिकारी को समनुदेशित किए गए कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(2) बोर्ड, सेना संपदा अधिकारी को निम्नलिखित व रिपोर्ट देगा :—



(i) बाजारों में ऐसी भूमि से भिन्न भूमि में जो बोर्ड के प्रबंध के अधीन है, बोर्ड द्वारा किए गए अधिकार या हित की मंजूरी:

(ii) अधिनियम की धारा 73 के अधीन बाजारों में भूमि से भिन्न भूमि में कार्यपालक अधिकारी को किए गए किस अधिकार या हित के अंतरण की प्रत्येक रिपोर्ट; और

(iii) कार्यपालक अधिकारी सेना संपदा अधिकारी को उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित जानकारी के अतिरिक्त संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 54, धारा 59, धारा 107 या धारा 123 के अधीन रजिस्ट्रीकृत बाजारों के बाहर स्थित जंगम संपत्ति में अधिकार और हित के प्रत्येक अंतरण को, जिसकी छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 287 की उपधारा (2) के अधीन जानकारी प्राप्त हो गई है, दर्शित करने वाला एक मासिक विवरण और बाजारों के बाहर स्थित जंगम संपत्ति में अधिकार और हित के प्रत्येक अंतरण की, जो उसकी जानकारी में आयी है, किन्तु जिसके बारे में उसे कोई सूचना नहीं दी गई है, एक रिपोर्ट भेजेगा। उक्त विवरणों के साथ पट्टे, नक्शे या अन्य दस्तावेज भेजे जाएंगे।

46. छावनी बोर्ड द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर—(1) बोर्ड इन नियमों के नियम 12, नियम 29, नियम 37 और नियम 39 और छावनी लेखा संहिता, 1924 के नियम 81क द्वारा विहित किए गए रजिस्ट्रियों के समान रजिस्टर रखेगा, जिन्हें क्रमशः छावनी बोर्ड का भू-राजस्व रजिस्टर, मंजूरी रजिस्टर (भवन निर्माण स्थल), मंजूरी रजिस्टर (प्रकीर्ण स्थल), मंजूरी रजिस्टर (अस्थायी अनुज्ञप्तियाँ) और मोटर यान पार्किंग अनुज्ञप्तियों की फीस का रजिस्टर के नाम से जाना जाएगा और अनुसूचियों में विहित प्ररूपों को बोर्ड की अपेक्षाओं के संबंध में जहां तक आवश्यक हो, उपांतरित किया जा सकेगा।

(2) बोर्ड ऐसी सभी भूमि के संबंध में, जो बोर्ड में निहित हैं, अनुसूची 19 में विहित प्ररूप में रजिस्टर रखेगा। इस रजिस्टर का नाम छावनी बोर्ड का केन्द्रीय सरकार के शोध्यों का रजिस्टर होगा और इसे वार्षिक रूप से तैयार किया जाएगा, जिससे कि केन्द्रीय सरकार को देय और किए गए सभी संदायों की जानकारी हो सके।

47. छावनी बोर्ड द्वारा भूमि का व्ययन—ऐसी भूमि का, जो नियम 9 के अधीन बोर्ड के प्रबंध में सौंपी गई है, व्ययन जहां तक हो सके, वैसे ही नियमों द्वारा शासित होगा, जो निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, सेना संपदा अधिकारी के प्रबंध में सौंपी गई भूमि के व्ययन पर लागू होते हैं, अर्थात्—

(क) बोर्ड नियम 24 और नियम 33 में कमान के मुख्य कमान अधिकारी का स्थान लेगा और उसे समनुदेशित किए गए कर्तव्यों का पालन करेगा;

(ख) बोर्ड नियम 18, नियम 19, नियम 26 और नियम 37 में केन्द्र के कमान अधिकारी का स्थान लेगा और उसे समनुदेशित किए गए कर्तव्यों का पालन करेगा;

(ग) बोर्ड नियम 26, नियम 27, नियम 28, नियम 29, नियम 31, नियम 32, नियम 34 और नियम 35 तथा नियम 37 के उपनियम (1) और (4) और नियम 39 में सेना संपदा

अधिकारी का स्थान लेगा और उसे समनुदेशित किए गए कर्तव्यों का पालन करेगा।

(घ) कार्यपालक अधिकारी, नियम 17, नियम 18, नियम 19, नियम 21, नियम 22, नियम 24, नियम 30, नियम 33 और नियम 36 तथा नियम 37 के उपनियम (2) में सेना संपदा अधिकारी का स्थान लेगा और उसे समनुदेशित किए गए कर्तव्यों का पालन करेगा।

(ङ) नियम 24 और नियम 26 के अधीन कलक्टर को निर्देश अपेक्षित नहीं होगा।

(च) नियम 19 के अधीन केन्द्रीय सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी को कोई निर्देश तब अपेक्षित नहीं होगा, जब आवेदन किया गया स्थल किसी ऐसे क्षेत्र में पड़ता है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 43क के अधीन अधिसूचना द्वारा बाजार क्षेत्र घोषित किया गया है;

(छ) जहां कोई पट्टा, अनुसूची 8, 9 और 10 में वर्णित पट्टे के प्ररूपों की शर्त I(5) और अनुसूची 2 में वर्णित पट्टे के प्ररूपों की शर्त I(3) में कमान के मुख्य कमान अधिकारी के प्रति निर्देश के लिए खंड च में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र के मोतार स्थल के लिए है वहां उसके स्थान पर बोर्ड के प्रति निर्देश किया जाएगा।

#### अध्याय 7

#### सेना संपदा अधिकारी द्वारा प्रवेश, निरीक्षण

48. सेना संपदा अधिकारी के प्रबंधाधीन भूमि पर प्रवेश और उसका निरीक्षण—(1) सेना संपदा अधिकारी या उसके द्वारा साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, सेना संपदा अधिकारी के प्रबंधाधीन किसी भवन या भूमि में या पर, कोई जांच, निरीक्षण, माप, मूल्यांकन या सर्वेक्षण करने, जिसे ऐसा अधिकारी या व्यक्ति आवश्यक समझे या किसी संकर्म की, जो उस भवन या भूमि में या पर निष्पादित किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, जांच करने या निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए सहायकों या कर्मचारों के साथ या उनके बिना प्रवेश कर सकेगा।

(2) ऐसा अधिकारी या व्यक्ति उपरोक्त कर्तव्यों का पालन करने में प्रवेश और निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए उसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जो अधिनियम के अध्याय 15 में विहित की गई है।

49. छावनी बोर्ड के प्रबंधाधीन भूमि पर प्रवेश और उसका निरीक्षण—(1) सेना संपदा अधिकारी या उसके द्वारा लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति बोर्ड के प्रबंध में सौंपे गए, किसी भवन या भूमि में या पर कोई जांच, निरीक्षण, माप, मूल्यांकन या सर्वेक्षण करने, जिसे ऐसा अधिकारी या व्यक्ति आवश्यक समझे या किसी संकर्म की, जो ऐसे भवन या भूमि में या पर किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, जांच करने या निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए सहायकों या कर्मचारों के साथ या उनके बिना प्रवेश कर सकेगा।

(2) ऐसा अधिकारी या व्यक्ति उक्त कर्तव्यों का पालन करने में प्रवेश और निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए उसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा, जो अधिनियम के अध्याय 15 में विहित की गई है।



अनुसूची 1  
(नियम 3(1) देखिए)

साधारण भूमि रजिस्टर			खंड .....							पृष्ठ .....			
सर्वेक्षण संख्यांक	100	निर्देश साधारण भू-राजस्व खंड								पृष्ठ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
नामांतरण			एकड़/ वर्गमीटर	विवरण वर्ग क्षेत्र	किसके द्वारा प्रबंध की जाती है	भू-स्वामी	अधिभोग अधिकारों का धारक	अधिभोग अधिकारों की प्रकृति	धारकों, अधिकारों	प्रतिवर्ष संदेय किराया	केन्द्रीय छावनी सरकार को	पट्टे की समाप्ति की तारीख	टिप्पणियां
भूमि के ब्यौरे, समनुपंगी नामांतरण की तारीख और सेना संपदा अधिकारी के हस्ताक्षर			रजिस्टर का खंड और पृष्ठ										
1.5 एकड़ का पट्टा ए.बी. को दिया गया हस्ताक्षर (क, ख)	100/1	खंड 6, पृष्ठ	6	रिक्त	ख-4	सेना संपदा अधिकारी	भारत सरकार	कोई नहीं					

अनुसूची 2  
(नियम 8 देखिए)  
किराए की मानक सारणी

छावनी .....		तारीख .....				
सर्वेक्षण संख्यांक	विवरण	वार्षिक भाटक मूल्य				टिप्पणियां
		कृषि		गैर-कृषि		
		एकड़	100 वर्गमीटर	एकड़	100 वर्गमीटर	

अनुसूची 3  
(नियम 12 देखिए)  
सेना संपदा अधिकारी का राजस्व रजिस्टर

चालू मांग										
सर्वेक्षण संख्यांक	वर्ग	विवरण	पट्टेदार या धारक का नाम और पता	अधिभोग की तारीख	अवधि, जिसके लिए किराए पर दिया गया है	किस्तें	रकम	देय किस्त की तारीख	बकाया, यदि कोई हों	कुल मांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संदाय की तारीख	संग्रहण की रकम	रसीद की संख्या	साधारण रोकड़ वही प्रविष्टि सं० और तारीख	वर्ष के लिए कुल संग्रहण	छूट	शोध्य अतिशेष	सेना संपदा अधिकारी के आद्यक्षर	टिप्पणियां और छूट के लिए प्राधिकार		
12	13	14	15	16	17	18	19	20		



## अनुसूची 4

[नियम 16(3) देखिए]

## पट्टे के नवीकरण के लिए प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में सपरिषद् गवर्नर जनरल (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टाकर्ता" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में \_\_\_\_\_ जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है) के बीच आज तारीख \_\_\_\_\_ को किया गया।

पट्टेदार, \_\_\_\_\_ को \_\_\_\_\_ संख्यांक के रूप में तारीख \_\_\_\_\_ के रजिस्ट्रीकृत लिखित पट्टा संख्या \_\_\_\_\_ के भीतर फायदे के लिए एक मात्र रूप से हकदार है/हैं और उसमें पट्टाकर्ता ने इसकी समाप्ति की तारीख को इस पट्टे के खंड 3 के अनुसार नवीकरण के लिए पट्टेदार से अनुरोध किया, जिसके लिए पट्टेदार ने (जो उक्त पट्टे के प्रत्याशित तुरंत उत्तरभोग के लिए अब हकदार है) इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित निबंधनों पर ऐसा करने के लिए सहमति दे दी है:—

यह करार निम्नलिखित का साक्षी है:—

(1) पट्टाकर्ता, परिसर के अनुसरण में, सभी और एकमात्र भूसंपत्ति और उसमें समाविष्ट और लिखित पट्टे द्वारा पट्टांतरित परिसर को, जिसके अन्तर्गत उस पर अब खड़े किए गए भवन, आदि भी हैं, उसमें यथा अभिव्यक्त, समान अपवादों और आरक्षणों सहित पट्टाकर्ता/पट्टाकर्ताओं को आज ता. \_\_\_\_\_ को, उसी तारीख को उनका इसी प्रकार \_\_\_\_\_ रु० के वार्षिक किराए का संदाय करने के अधीन रहते हुए (इस पट्टांतरण के अधीन किराए का प्रथम संदाय तारीख \_\_\_\_\_ को किया जाएगा) और ऐसे फायदों के और क्रमशः पट्टेदार और पट्टाकर्ताओं की प्रसंविदाओं के अनुरूप और सभी प्रकार से ऐसे परन्तुकों तथा

शर्तों के अधीन रहते हुए (जिसके अन्तर्गत पुनःप्रवेश के संबंध में परन्तुक भी है) जो लिखित पट्टे में अन्तर्विष्ट हैं, के अधीन रहते हुए तीस वर्ष की अवधि के लिए पट्टांतरित करता है।

(2) पट्टाकर्ता और पट्टेदार/पट्टेदारों के बीच, पारस्परिक रूप से इसके द्वारा यह प्रसंविदा और करार किया जाता है, जिससे कि इसके अधीन बाध्यताएं इसके सृजित संपूर्ण अवधि में बनी रहेंगी और पट्टांतरित परिसर में उनके अपने-अपने हित के उत्तराधिकारियों पर आबद्धकर रहेंगी कि वे लिखित पट्टे में अभिव्यक्त अनेक प्रसंविदाओं के परन्तुकों और अनुबंधों का पूर्ण रूप से इस प्रकार पालन और अनुपालन करेंगे मानो उन्हीं प्रसंविदाओं के परंतुकों और अनुबंधों को इसमें ऐसे उपान्तरणों के साथ ही पूर्णतया दोहराया गया था और मानो इसके पक्षकारों के नामों को लिखित पट्टे में प्रतिस्थापित किया गया था:

परन्तु सदैव यह कि लिखित पट्टे खंड 1(5) में निर्दिष्ट \_\_\_\_\_ का सन्निर्माण किए जाने पर, पट्टेदार कोई दूसरा सन्निर्माण करने की किसी बाध्यता के अधीन नहीं होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षकारों ने ऊपर लिखित तारीख को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए।

सपरिषद् गवर्नर जनरल की ओर से

श्री \_\_\_\_\_ ने  
\_\_\_\_\_ की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।  
श्री \_\_\_\_\_ ने  
\_\_\_\_\_ की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

## अनुसूची 5

(नियम 17 देखिए)

## सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड का मंजूरी रजिस्टर

(निर्माण स्थल)

आवेदक द्वारा भरे जाने वाले/भूमि के पट्टे के लिए आवेदन-पत्र का प्ररूप

सेवा में

सेना संपदा अधिकारी \_\_\_\_\_ छावनी

कार्यकारी अधिकारी

तारीख \_\_\_\_\_

महोदय,

मैं \_\_\_\_\_ के निर्माण के प्रयोजन के लिए \_\_\_\_\_ में स्थित \_\_\_\_\_

एकड़ भूमि के पट्टे की मंजूरी के लिए आवेदन कर रहा हूँ।

आवेदन किए गए क्षेत्र का स्थल नक्शा संलग्न है।

मैं उक्त छावनी में निम्नलिखित भूमि धारित करता हूँ:—

मैं भूमि के व्ययन की बाबत ऐसी शर्तों का, जो सेना संपदा अधिकारी अधिकाथित करे, पालन करने के लिए और सर्वेक्षण तथा सीमांकन करने का खर्च, यदि कोई हो, इस शर्त पर जमा करने के लिए तैयार हूँ कि भूमि को अन्ततः किसी व्यक्ति को दिए जाने की दशा में मेरी जमा रकम मुझे वापस कर दी जाएगी।

मैं यह अनुरोध करता हूँ कि भूमि मुझे निम्नलिखित कारणों से नीलामी के बिना निजी करार द्वारा दे दी जाए:—

\_\_\_\_\_ आदि।



**मंजूरी रजिस्टर—भवन निर्माण स्थल**  
(विहित प्राधिकारी द्वारा फाइल किया जाए, न कि आवेदक द्वारा)

भूमि का सर्वेक्षण संख्यांक और/या अवस्थिति, वर्ग, क०सं० का कुल क्षेत्र, यदि कोई हो,

1. आवेदन की तारीख
2. आवेदन की गई सीमा
3. आवेदक का नाम और पता
4. प्रयोजन, जिसके लिए आवेदन किया गया।
5. केन्द्र के कमान अधिकारी का आदेश

बोर्ड के संकल्प की प्रति  
(नियम 18 और नियम 19 देखें)

केन्द्र का कमान अधिकारी

- |       |                   |
|-------|-------------------|
| तारीख | कार्यपालक अधिकारी |
|-------|-------------------|
6. नियम 19 के अधीन केन्द्रीय सरकार या नियुक्त प्राधिकारी का आदेश (सं० 796 तारीख 1-6-1940)
  7. सर्वेक्षण और सीमांकन की तारीख और खर्च तथा खर्च जमा करने की तारीख
  8. किराए की मानक सूची के अनुसार नियत वार्षिक किराया
  9. पट्टे के संबंध में प्रीमियम के लिए आरक्षित कीमत
  10. प्रकाशित नीलामी की सूचना
  11. नीलामी की तारीख
  12. सफल बोली बोलने वाला
  13. बोली की रकम
  14. कलक्टर की राय
  15. कमान के मुख्य कमान अधिकारी का आदेश— (नियम 24) छावनी बोर्ड का संकल्प
  16. केन्द्रीय सरकार/कमान के मुख्य कमान अधिकारी का आदेश—
    - (क) यदि बाजार मूल्य का 10,000 रु० से अधिक हो जाता है, (नियम 24)
    - (ख) यदि बिक्री को कलक्टर की सहमति नहीं दी गई है: (नियम 25)
    - (ग) यदि स्थल का व्ययन नियम 26 या नियम 31 के अधीन किया जाता है।
  17. पट्टे की संख्या और तारीख
  18. पट्टे के रजिस्ट्रीकरण की तारीख

सेना संपदा अधिकारी

- |       |                   |
|-------|-------------------|
| तारीख | कार्यपालक अधिकारी |
|-------|-------------------|
- स्थल का नक्शा  
सर्वेक्षण संख्या  
उपखंड

क्षेत्र

आधार पर सर्वेक्षण और सीमांकन किया गया।

सेना संपदा अधिकारी

तारीख

कार्यपालक अधिकारी

प्रमाणित किया जाता है कि उपखंड की प्रविष्टि छावनी संबंधित भारत के सर्वेक्षण नक्शों में कर ली गई है और साधारण रजिस्टर में उपयुक्त प्रविष्टि कर दी गई है।

तारीख

सेना संपदा अधिकारी

अनुसूची 6

(नियम 21 देखिए)

**भवन निर्माण स्थल का पट्टा सूचना**

सूचित किया जाता है कि इसमें नीचे विनिर्दिष्ट पट्टा इसमें नीचे कथित किराए और अवधि तथा शर्तों के अधीन हुए, ( ) द्वारा विक्रय की पुष्टि करने पर) ( ) को

बड़े नीलाम द्वारा मंजूर किया जा सकता, निष्पादित किए जाने वाले पट्टे के प्ररूप और शर्तों का निरीक्षण, सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड कर सकता है।

सेना संपदा अधिकारी

कार्यपालक अधिकारी

**विशिष्टियां**

- (1) वार्ड, सर्वेक्षण संख्यांक या सीमाएं
- (2) क्षेत्रफल
- (3) किराया
- (4) पट्टे की अवधि (यहां यह भी लिखें कि क्या नवीकरण योग्य या नहीं)।

**भू-धृति की शर्तें**

(1) पट्टेदार, पट्टे में विनिर्दिष्ट तारीखों को निर्धारित रूप से संवाय करेगा (और उसका कम से कम तीस अन्तरालों पर, पुनरीक्षण किया जा सकेगा)।

(2) पट्टेदार, छावनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार स्थल पर, भवन पर, भवन या भवनों के पट्टे के निर्माण तारीख से ( ) मास के भीतर ( ) करेगा और उक्त भवन या भवनों की अच्छी तरह से मरम्मत हुए उनका अनुरक्षण करेगा तथा सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड लिखित सहमति के बिना उक्त भवन या भवनों में किसी प्रकार परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करेगा।



(3) स्थल या उस पर निर्मित किए जाने वाले किसी भवन या उसके किसी भाग के प्रत्येक समनुदेशन, अन्तरण या उप-पट्टे की सूचना, ऐसे समनुदेशन, अन्तरण या उप-पट्टे की तारीख से एक मास के भीतर, सेना संपदा अधिकारी को दी जाएगी।

(4) सपरिषद् गवर्नर जनरल, स्थल पर या उसके नीचे किसी भी प्रकार के सभी खनिज, खनिज पदार्थ, रेल या मिट्टी तथा स्थल पर इस समय या भविष्य में उगने वाली इमारती लकड़ी और फलदार वृक्षों को अपने लिए आरक्षित करते हैं, किन्तु वृक्षों की गिरी हुई शाखाएं, फल या पत्ते और सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड की लिखित सहमति से वृक्ष की काटी गई शाखाएं, ऐसे आरक्षित नहीं हैं।

(5) यदि सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड की राय में पट्टेदार की ओर से प्रालन और निर्वहन की जाने वाली किसी शर्त को भंग किया जाता है तो सपरिषद् गवर्नर जनरल स्थल और भवनों में यदि कोई निर्मित किए गए हैं: प्रवेश करके उनका कब्जा ले सकेंगे और पट्टा समाप्त कर सकेंगे तथा इस बाबत पट्टेदार किसी भी प्रकार के प्रतिकार का हकदार नहीं होगा।

#### विक्रय की शर्तें

(1) सबसे ऊंची बोली लगाने वाला, पट्टे के विक्रय के लिए कमान ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ/छावनी बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, क्रेता होगा और यदि दो या अधिक बोली लगाने वालों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसे स्थल को अन्त में अविवादित बोली पर पुनः नीलाम किया जाएगा; विक्रय के समय बोलों बढ़ाने में कोई भी व्यक्ति नीलामकर्ता द्वारा नियत की गई राशि से कम राशि की वृद्धि नहीं करेगा तथा बोली वापस नहीं लेगा। विक्रेता को बोली लगाने का अधिकार होगा।

(2) क्रेता, विक्रय के पश्चात् नीलामकर्ता को अग्रिम धन और अपने क्रय धन मद्दे, अपनी बोली की दस प्रतिशत रकम तुरंत संदत्त करेगा और इन शर्तों के अनुसार अपने क्रय को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए करार प्ररूप पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) क्रय धन की शेष राशि का संदाय और क्रय की पूर्ति, सेना संपदा अफिसर/छावनी बोर्ड में द्वारा विक्रय की पुष्टि से तीस दिन के भीतर, कर दिया जाएगा। यदि विक्रय की पुष्टि नहीं की जाती है तो विक्रेता को उक्त राशि वापस कर दी जाएगी।

(4) विशिष्टियों में स्थल में दिए गए वर्णन पर विश्वास किया गया है और उसे सही समझा जाएगा तथा यदि उसमें कोई त्रुटी पाई जाती है तो उससे विक्रय बातिल नहीं होगा और न ही उस बारे में कोई प्रतिकार अनुज्ञात किया जाएगा।

(5) यदि क्रेता इन शर्तों का पालन करने में असफल रहता है तो विक्रेता उसकी निक्षिप्त राशि समपद्धत कर लेगा और वर्तमान विक्रय के क्रेता को कोई सूचना देकर या उसके बिना लोक नीलाम द्वारा या प्राइवेट सविदा करके, ऐसे स्थल का पुनः विक्रय कर सकेगा और यदि दूसरे विक्रय से कोई नुकसान होता है तो उसकी तथा ऐसे दूसरे विक्रय के प्रभारों की पूर्ति ऐसे विक्रय के तुरंत पश्चात्, वर्तमान विक्रय के व्यतिक्रमी को करनी होगी और यदि वह असंशय रह जाता है तो विक्रेता उसकी वसूली क्रेता से परिनिधारित नुकसानी के रूप में कर

सकेगा। यदि ऐसे पुनर्विक्रय से कोई लाभ होता है तो विक्रेता उसे प्रतिधारित करने का हकदार होगा।

(6) स्थल का उपयोग, के लिए भवन के निर्माण से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

ज्ञापन—उक्त स्थल का, जिसकी विशिष्टियां ऊपर दी गई हैं, पट्टा आज तारीख को नीलाम विक्रय द्वारा किया गया, जिसमें श्री ने रूप की सर्वोच्च बोली दी थी और उन्हीं को, द्वारा विक्रय की पुष्टि के अधीन रहते हुए, उक्त स्थल का क्रेता घोषित किया गया है और उक्त श्री ने प्रतिभूति निक्षेप और क्रय धन के भागतः संदाय के रूप में रूप की राशि, सपरिषद् गवर्नर जनरल (विक्रेता) के लिए और उनकी ओर से कार्यरत श्री को संदत्त कर दी है और इसके द्वारा वह उपरोक्त शर्तों के अनुसार क्रय पूरा करने का तथा इसके साथ उपाब्ध प्ररूप में (जिसके अधीन विक्रय की पुष्टि की तारीख से किराया संशय होगा) पट्टा निष्पादित करने का करार करता है तथा विक्रेता के अभिकर्ता के रूप में उक्त इसके द्वारा उक्त निक्षेप की प्राप्ति, अभिस्वीकृत करता है।

आज तारीख को छावनी में इस पर हस्ताक्षर किए गए।

हस्ताक्षर

#### अनुसूची 7

#### (नियम 27 देखिए)

यह करार एक पक्षकार के रूप में सपरिषद् गवर्नर जनरल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "पट्टाकर्ता" कहा गया है और दूसरे पक्षकार के रूप में के ) (जिसे जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है, के बीच आज तारीख को किया गया।

इसमें इसके पश्चात् वर्णित भूमि और भवन, जो अब के रूप में पट्टेदार/पट्टेदारों के अधिभोग में है, का बाबत इसके पक्षकारों के अधिकारों को लिखित रूप में परिभाषित नहीं किया गया प्रतीत होता है और इसके पक्षकार इस बात के लिए सहमत हैं कि उन्हें इस विलेख में उनके द्वारा स्पष्टतः परिभाषित किए जाने के लिए करार किया जाए।

अतः यह करार इस बात का साक्षी है कि परिसर के प्रतिफलस्वरूप पट्टेदार इसके द्वारा यह अभिस्वीकार और सहमत करता है कि इसमें इसके पश्चात् वर्णित भूमि संपूर्ण रूप से हिज मेजेस्टी की संपत्ति है और पट्टाकर्ता यह अभिस्वीकार और करार करता है कि उस पर निर्मित भवन (जिन्हें इसके साथ संलग्न नक्शों में रेखांकित किया गया) पट्टेदार (पट्टेदारों) की संपत्ति है और इस विलेख के विष्पादन पर या उससे पूर्व दिए गए नाममात्र के 5 रूपए के प्रीमियम के (जिसकी प्राप्ति पट्टाकर्ता इसके द्वारा अभिस्वीकार करता है, और इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट प्रसविदाओं के प्रतिफलस्वरूप पट्टाकर्ता, पट्टेदार को वह संपूर्ण भूखण्ड अन्तरित करता है जिसका क्षेत्रफल है और जो छावनी



में स्थित है। इस भूखण्ड का विस्तृत वर्णन इसमें आगे दी गई अनुसूची में किया गया है। अधिक स्पष्टता के लिए उस भूखण्ड की सीमाएं इस विलेख के साथ संलग्न नक्शों में दर्शित कर दी गई हैं और उनमें गुलाबी रंग भर दिया गया है। इस भूखण्ड का अंतरण भूखण्ड के या उससे अनुलग्न सभी अधिकारों, सुखाचारों या संलग्नकों के साथ किया जाता है। पट्टेदार इसके द्वारा अन्तरित पट्टे को तारीख से शाश्वत रूप से धारण करेगा, किन्तु इस अंतरण के अन्तर्गत अन्तरित परिसर में या उसके नीचे सभी प्रकार की खान, खनिज, खनिज पदार्थ, बालू और मिट्टी नहीं है, जो सरकार के लिए आरक्षित हैं और जिनकी बाबत सरकार को ऐसे सभी कार्य और बातें करने के सभी अधिकार और पूर्ण स्वतंत्रता है जो उनकी खुदाई, खनन, अभिप्राप्त करने, हटाए जाने और उपयोग के लिए आवश्यक या समीचीन हैं, किन्तु यह तब जब पट्टेदार को हुए नुकसान के लिए उचित प्रतिकर दिया जाए।

I. और पट्टेदार, पट्टाकर्ता से प्रसंविदा करता है कि :—

(1) समय-समय पर और सभी समय हर प्रकार के सभी रेटों, करों, प्रभारों और निधारणों का संदाय और उन्मोचन करेगा, जो इसके द्वारा अन्तरित परिसर पर या उस पर बनाए जाने वाले किन्हीं भवनों पर या उनके संबंध में भूस्वामी या अभिधारी पर इस समय या इसके पश्चात् किसी भी समय अधिरोपित, प्रभारित या निर्धारित किए गए हैं या किए जाएं।

(2) छावनी बोर्ड की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे किन्हीं वृक्षों को नहीं काटेगा जो भूमि पर उगे हैं। ऐसी अनुज्ञा तब के सिवाय वापस नहीं ली जाएगी जब कि बोर्ड की राय में इस प्रकार काटे जाने से पट्टेदार की सुखसुविधाओं में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(3) इसके द्वारा अन्तरित भूमि के किसी भाग पर, इस विलेख के निष्पादन के समय पहले से विद्यमान किसी भवन से अन्यथा या उसके सिवाय कमान के मुख्य कमान अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई भवन निर्मित या पुनर्निर्मित नहीं करेगा या निर्मित करने देगा और अंतरित भूमि पर किसी भवन के नक्शों में इस रूप में कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं करेगा या उसका उत्पादन नहीं करेगा, जिससे कि इसका स्वरूप परिवर्तित हो जाए, और इस विलेख के निष्पादन के समय उपयोग किए जाने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए भूमि और भवनों का न तो उपयोग करेगा और न ही करने देगा। उक्त अनुज्ञा को तब के सिवाय वापस नहीं लिया जाएगा जबकि उक्त अधिकारी की राय में ऐसी कार्रवाई से उक्त भूमि और भवन किसी सेना अधिकारी के लिए अनुपयुक्त हो जाएंगे या उनके स्वरूप को इस प्रकार बदल देगी, स्वच्छता की दृष्टि से आपत्तिजनक होगा।

(4) सभी समयों पर अंतरित भूमि को ठीक-ठाक, साफ और सही स्थिति में रखेगा और उस पर निर्मित भवनों को अच्छी और पर्याप्त मरम्मत की हालत में रखेगा।

(5) उक्त भूमि और भवनों या उसके किसी भाग के प्रत्येक समनुदेशन, अंतरण या उप-पट्टे पर दिए जाने के दो मास के भीतर संबंधित सेना संपदा अधिकारी को ऐसे

समनुदेशन, अंतरण या उप-पट्टे पर दिए जाने को सूचना भेजेगा, जिसमें प्रत्येक ऐसे समनुदेशन, अंतरण या उप-पट्टे के पक्षकारों के नाम और विवरण तथा उसकी विशिष्टियां प्रभाव का उल्लेख करेगा :

II. परन्तु सदैव यह घोषित और करार किया जाता है कि यदि पट्टेदार या उसके/ उनके माध्यम से या अधीन दावा करने वाला किसी व्यक्ति द्वारा इसमें आगे अन्तर्विष्ट प्रसंविदाओं या शर्तों में से किसी का भंग या अननुपालन किया जाता है और यदि उसके उपचार के लिए युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् भी ऐसी भंग अननुपालन जारी रहता है तो पट्टाकर्ता, ऐसी किसी भी दशा में इस बात के होते हुए भी कि किसी पूर्व हेतुक का अधित्यजन कर दिया गया है। इस पट्टे को किसी प्रतिकर के बिना तुरन्त समाप्त कर सके किन्तु तत्पश्चात् इसके द्वारा अंतरित परिसर, इस विलेख के निष्पादन से ठीक पूर्व उसे शासित करने वाली शर्तों पर पट्टेदार (पट्टेदार), द्वारा धारण किया जाएगा :

III. परन्तु यह भी कि इसके द्वारा यह और करार तथा घोषित किया जाता है कि पट्टाकर्ता समय-समय पर यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित छावनी (गृह आवास) अधिनियम, 1923 (1923 का 6) के उपबंधों के अधीन उक्त भूमि और भवनों को किसी भी समय विनियोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा :

IV. परन्तु यह और कि इसके द्वारा यह भी करार और घोषित किया जाता है कि परिसर के और विशिष्ट रूप से इस बात के प्रतिफलस्वरूप कि इस विलेख के अधीन कोई किराया सुरक्षित न बनाया गया है और केवल नाममात्र का प्रीमियम संदेय बनाया गया है यदि किसी समय उक्त भूमि और भवन या उसके भाग लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित होते हैं तो पट्टाकर्ता, किसी भी समय उक्त भूमि और भवनों का पट्टांतरण समाप्त करने और उक्त भूमि के प्राधिकार के अर्जन के समय भवन का बाजार मूल्य (घन 15 रुपए) पट्टेदार (पट्टेदारों) को देकर, उनका अर्जन करने तथा इस बाबत करार करने में असफल रहने की दशा में इस आधार पर कि न तो भूमि की बाबत, न ही इस अंतरण के मद्दे कोई प्रतिकर संदेय होगा, तत्सम यथासंशोधित या पुनर्अधिनियमित भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन उसके पूर्णाहित का अर्जन करने की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा :

परन्तु इस बात के होते हुए भी कि यदि उक्त भूमि या भवनों का केवल एक ही भाग अपेक्षित है और यदि पट्टेदार (पट्टेदारों) द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो पट्टाकर्ता उक्त सम्पूर्ण भूमि या भवनों को अर्जन कर सकेगा :

V. परन्तु अन्त में यह भी कि इसमें इसके पूर्व प्रयुक्त पद "पट्टाकर्ता" और "पट्टेदार (पट्टेदारों)" के अन्तर्गत, जब तक कि ऐसा निर्वचन संदर्भ से प्रतिकूल न हो, "पट्टाकर्ता" की दशा में उसके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिनी और "पट्टेदार (पट्टेदारों)" की दशा में उसके/उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक या अन्य वैयक्तिक प्रतिनिधि और समनुदेशिनी भी है।

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची

उक्त सम्पूर्ण भू-भाग पर स्थित है और



छावनी के साधारण भूमि रजिस्टर में सर्वेक्षण संख्यांक \_\_\_\_\_ के भाग रूप में दर्ज है।

उसकी सीमाएं निम्नलिखित हैं :-

उत्तर में \_\_\_\_\_  
दक्षिण में \_\_\_\_\_  
पूर्व में \_\_\_\_\_  
पश्चिम में \_\_\_\_\_

इसके साक्ष्य स्वरूप इस करार के पक्षकारों ने इस पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर किए।

.....  
(हस्ताक्षर)

सपरिषद् गवर्नर जनरल के लिए और उनकी ओर से

श्री \_\_\_\_\_ ने निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

साक्षी :- 1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

ऊपर नामित \_\_\_\_\_ ने .....  
(हस्ताक्षर)

निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

साक्षी :- 1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

### अनुसूची 8

#### [नियम 28 (1) देखिए]

तीस वर्ष की अवधि के लिए भवन का पट्टा, जिसका पट्टेदार के विकल्प पर नब्बे वर्ष तक के लिए नवीकरण किया जा सकता है।

यह करार एक पक्षकार के रूप में सपरिषद् गवर्नर जनरल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "पट्टाकर्ता" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में \_\_\_\_\_ (जिसे/ जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है) के बीच आज तारीख \_\_\_\_\_ को किया गया। छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 280 के अधीन बनाए गए नियमों के आधार पर \_\_\_\_\_ छावनी के सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड कहा गया है) पट्टाकर्ता की ओर से \_\_\_\_\_ द्वारा पुष्टि किए जाने पर, इसमें आगे वर्णित भूखण्ड, इसमें आगे उल्लिखित रीति में पट्टेदार को पट्टांतरित करने का करार किया है।

अतः यह करार इस बात का साक्षी है कि इस विलेख के निष्पादन की तारीख को या उससे पूर्व संदत्त \_\_\_\_\_ रू० के प्रीमियम (जिसकी प्राप्ति पट्टाकर्ता इसके द्वारा अभिस्वीकार करता है) और इसमें आगे आरक्षित किराए के और इसमें आगे दी गई और पट्टेदार/पट्टेदारों की ओर से की गई प्रसंविदाओं के फलस्वरूप

पट्टाकर्ता, पट्टेदार को वह संपूर्ण भूखंड अंतरित करता है जो \_\_\_\_\_ छावनी में \_\_\_\_\_ में स्थित है और जिसका क्षेत्रफल \_\_\_\_\_ है। इस भूखंड का विस्तृत वर्णन इसमें आगे दी गई अनुसूची में किया गया है। अधिक स्पष्टता के लिए उस भूखण्ड की सीमाएं, इस विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाई गई हैं और उसमें \_\_\_\_\_ रंग भरा गया है। इस भूखंड का अंतरण, भूखंड में या उससे अनुलग्न सभी अधिकारों, सुखाचारों और अनुलग्नकों के साथ किया जाता है। पट्टेदार इसके द्वारा अन्तरित परिसर को तारीख \_\_\_\_\_ से तीस वर्ष की अवधि के लिए धारण करेगा/करेंगे। किन्तु इस अन्तरण के अन्तर्गत अन्तरित परिसर में या उसके नीचे सभी प्रकार की खान, खनिज पदार्थ, बालू और मिट्टी नहीं है जो सरकार के लिए आरक्षित है और जिनकी बाबत सरकार को ऐसे सभी कार्य और बातें करने के सभी अधिकार और पूर्ण स्वतंत्रता है, जो उनकी खुदाई, खनन, अभिप्राप्त करने, हटाए जाने और उपयोग के लिए आवश्यक या समीचीन है, किन्तु यह तब जब पट्टेदार/पट्टेदारों को हुए नुकसान के लिए उचित प्रतिकर दिया जाए और ऐसे सब टिम्बर, फलदार वृक्ष और अन्य वृक्ष (किन्तु सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड की लिखित सहमति से तोड़े गए फलों, पत्तियों या वृक्षों की गिरी हुई शाखाओं को छोड़कर) भी, उन्हें चिह्नानकित करने, काटने, गिराने और ले जाने के लिए परिसर में प्रवेश करने के अधिकार सहित, उसके अन्तर्गत नहीं है। यह अन्तरण इस शर्त पर किया गया है कि पट्टेदार उक्त भूखंड के लिए वार्षिक किराए के रूप में \_\_\_\_\_ रूप का अग्रिम रूप में संदाय सभी कटौतियों से मुक्त रूप में \_\_\_\_\_ सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड के कार्यालय में या ऐसे किसी अन्य स्थान पर करेगा, जो सैनिक संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें। ऐसा प्रथम संदाय आगामी \_\_\_\_\_ मास को किया जाएगा।

1. पट्टेदार, पट्टाकर्ता से यह प्रसंविदा करता है/करते हैं कि वह/वे :-

(1) पट्टाकर्ता को, इसके द्वारा आरक्षित वार्षिक किराए का संदाय, उन तारीखों को और उस रीति में करेगा, जो इसमें इसके पूर्व नियत की गई हैं।

(2) समय-समय पर और सभी समय हर प्रकार के ऐसे सभी रेटों, करों, प्रभारों और निर्धारणों का संदाय और टन्मोचन करेगा, जो इसके द्वारा अन्तरित परिसर पर या उस पर बनाए जाने वाले किन्हीं भवनों पर या उनके संबंध में भू-स्वामी या अभिधारी पर इस समय या इस पट्टे की उक्त अवधि के दौरान इसके पश्चात् किसी समय निर्धारित, प्रभारित या अधिरोपित किए गए हैं या किए जाएं।

(3) सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी किसी टिम्बर, फलदार वृक्षों को नहीं काटेगा जो इसके द्वारा अन्तरित परिसर पर इस समय उगे हैं या बाद में उगे, अपितु उनका भली प्रकार अनुरक्षण करेगा।

(4) सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड की लिखित सहमति के बिना और उसके द्वारा विहित निबंधनों और शर्तों के अनुसरण के सिवाय, इसके द्वारा अन्तरित भूमि में कोई उत्खनन नहीं करेगा या उक्त भूमि से कोई खनिज पदार्थ, चाहे वे किसी भी वर्णन के हों, बालू या मिट्टी नहीं हटाएगा।



(5) इस करार की तारीख के पश्चात् कलैण्डर मास के भीतर अपने ही खर्च पर इसके द्वारा अन्तरित परिसर पर छावनी अधिनियम के उपबंधों के अधीन छावनी बोर्ड द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित नक्शों के अनुसार निवास उपयोग के लिए निवास गृहों का उनके उपगृहों, मलनालियों, नालियों और अन्य अनुलग्नकों का निर्माण करेगा और उन्हें उस प्रयोजन के लिए सुव्यवस्थित करेगा। साथ ही इसके द्वारा अन्तरित परिसर पर कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ की लिखित पूर्व सहमति के बिना निर्मित किए जाने के लिए इसके द्वारा प्रसविदाकृत निवास गृहों से भिन्ना और उनके सिवाय कोई निर्माण न तो करेगा और न करने देगा।

(6) यथापूर्वोक्त सहमति के बिना उक्त निवासगृहों के नक्शों या उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और ऐसे गृहों का निवासीय प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए न तो उपयोग करेगा न करने की अनुज्ञा देगा।

(7) उक्त अवधि के दौरान सभी समयों पर उक्त निवास गृहों और परिसर को अच्छी और ठीक मरम्मत की हालत में रखेगा और उक्त अवधि की समाप्ति या पूर्वतर समाप्ति पर उसका कब्जा पट्टाकर्ता को अच्छी और ठीक मरम्मत की हालत में सौंप देगा।

(8) इसके द्वारा अन्तरित परिसर या उसके किसी भाग के प्रत्येक समनुदेशन, अन्तरण या उप-पट्टे की सूचना सेना संपदा अधिकारी को ऐसे समनुदेशन, अन्तरण या उप-पट्टे के एक कलैण्डर मास के भीतर देगा, जिसमें ऐसे समनुदेशन, अन्तरण या उप-पट्टे के पक्षकारों के नाम और वर्णन तथा अन्य प्रविष्टियाँ और उनका प्रभाव दर्शित किया जाएगा।

II. परन्तु यह सर्वैव कि यदि इसके द्वारा आरक्षित किराए का कोई भाग, उसके शोध्य होने की तारीख के पश्चात् से एक कलैण्डर मास तक बकाया या असंदात रह जाता है चाहे उसके लिए सांग की गई हो या नहीं अथवा यदि इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी प्रसविदा या शर्त का पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा या उसकी/उनकी माफत या उसके/उनके अधीन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भंग किया जाता है तो ऐसे मामले में पट्टाकर्ता किसी पूर्वतन हेतुक या पुनर्प्रवेश के अधिकार के अधित्यजन के होते हुए भी, इसके द्वारा अन्तरित परिसर के किसी भाग में या उस पर बने भवन में प्रवेश कर सकेगा और तत्पश्चात् ऐसे परिसर और भवन पट्टाकर्ता के प्रयोग में और उसमें निहित रहेंगे और यह अन्तरण पूर्णतः समाप्त हो जाएगा तथा पट्टेदार किसी भी प्रकार के प्रतिकर का/के हकदार नहीं होगा/होगे।

III. परन्तु यह और कि इसके द्वारा मंजूर की गई अवधि की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् समय-समय पर इसके द्वारा मंजूर किए जाने वाली उत्तरोत्तर प्रत्येक अतिरिक्त अवधि की समाप्ति पर पट्टाकर्ता, पट्टेदार/पट्टेदारों के अनुरोध पर उसे/उन्हें इसके द्वारा मंजूर किए गए परिसर का तीस वर्ष की अवधि के लिए नया पट्टा, नवीकरण के रूप में मंजूर कर सकेगा किन्तु ऐसे मंजूर की गई नवीकृत अवधि या अवधियों का योग, पट्टे की मूल अवधि सहित नब्बे वर्ष से अधिक नहीं होगा और ऐसे नवीकृत पट्टे, मूल पट्टे या तत्समय प्रवृत्त

पट्टे के अधीन आरक्षित किराए के पचास प्रतिशत से अधिकाधिक अतिरिक्त किराए पर दिए जा सकेंगे, जो पट्टाकर्ता अवधारित क प्रकार आरक्षित किए जाने वाले किराए की रकम और तद्वद जाने वाली अवधि के अधीन रहते हुए, इसके द्वारा अन्तरित परिसर के नवीकृत पट्टे में, इस करार में अन्तर्विष्ट प्रती उपबंधों और शर्तों में से ऐसी प्रसविदा आदि सम्मिलित की जा जैसी लागू होती हों।

IV. परन्तु यह और भी कि इसमें इसके पूर्व प्रयुक्त "पट्टाकर्ता" और "पट्टेदार" के अन्तर्गत जब तक कि ऐ संदर्भ के प्रतिकूल न हो, "पट्टाकर्ता" की दशा में उसके पदो और समनुदेशिनी और पट्टेदार की दशा में उसके वारिस/ना प्रशासक प्रतिनिधि और समनुदेशिनी भी हैं।

#### ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची

उक्त सम्पूर्ण भू-भाग पर स्थित छावनी के साधारण रजिस्टर में, सर्वेक्षण संख्यांक के भा में दर्ज है। उसकी सीमाएं निम्नलिखित हैं:—

उत्तर में \_\_\_\_\_  
दक्षिण में \_\_\_\_\_  
पूर्व में \_\_\_\_\_  
पश्चिम में \_\_\_\_\_

इसके साथ स्वरूप इस करार के पक्षकारों ने इस सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर किए सपरिपद्/गवर्नर जनरल के लिए और उनकी ओर से \_\_\_\_\_ ने \_\_\_\_\_

साक्षी:— 1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

उक्त श्री \_\_\_\_\_

साक्षी:— 1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

#### अनुसूची-9

##### [नियम 31(1) देखिए]

तीस वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए भवन पट्टा,

जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है।

यह करार एक पक्षकार के रूप में सपरिपद् गवर्नर ज (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टाकर्ता" कहा गया है) और पक्षकार के रूप में \_\_\_\_\_ (जिसे/जिन्हें इसमें इसके पश्



“पट्टेदार” कहा गया है) के बीच आज तारीख ————— को किया गया।

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 280 के अधीन बनाए गए नियमों के आधार पर सेना संपदा अधिकारी/————— छावनी बोर्ड (जिसे इसमें आगे सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड कहा गया है) ने पट्टाकर्ता/पट्टाकर्ताओं की ओर से ————— द्वारा पुष्टि कर दी जाने पर इसमें आगे वर्णित भू-भाग का पट्टा/पट्टेदार/पट्टेदारों के पक्ष में, इसमें इसके आगे बताई गई रीति में, करने का करार किया है।

अतः यह करार इस बात का साक्ष्य है कि इस विलेख के निष्पादन के पूर्व दिए गए ————— रूप के प्रीमियम (जिसकी प्राप्ति पट्टाकर्ता इसके द्वारा अभिस्वीकार करता है) के और इसमें आगे आरक्षित किराए के तथा इसमें आगे दी गई और पट्टेदार/पट्टेदारों की ओर से की गई प्रसविदाओं के प्रतिफलस्वरूप, पट्टाकर्ता, पट्टेदार/पट्टेदारों को वह संपूर्ण भूखंड अंतरित करता है, जिसका क्षेत्रफल ————— है और जो ————— छावनी में ————— में स्थित है। इस भू-खण्ड का विस्तृत वर्णन इसमें आगे दी गई अनुसूची में किया गया है। अधिक स्पष्टता के लिए उस भूखण्ड की सीमाएं इस विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शित की गई हैं और उसमें रंग भरा गया है। इस भूखण्ड का अंतरण, भूखण्ड के या उससे अनुलग्न सभी अधिकारों, सुखाचारों और अनुलग्नकों के साथ किया जाता है। पट्टेदार, इसके द्वारा अंतरित परिसर को तारीख ————— से शाश्वत रूप से धारण करेगा, किन्तु इस अन्तरण के अन्तर्गत, इस करार द्वारा परिसर में या उसके नीचे सभी प्रकार की खान, खनिज, खनिज-पदार्थ, बालू और मिट्टी नहीं है, जो पट्टाकर्ता के लिए आरक्षित है और जिनकी बाबत उसे ऐसे सभी कार्य और बातें करने के सभी अधिकार और पूर्ण स्वतंत्रता है, जो उनकी खुदाई, खनन, अभिप्राप्ति, हटाए जाने और उपयोग के लिए आवश्यक या समीचीन है, किन्तु तब जब पट्टेदार/पट्टेदारों को हुए नुकसान के लिए उचित प्रतिकर दिया जाए और ऐसी सब टिम्बर, फलदार वृक्ष और अन्य वृक्ष (किन्तु सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड की लिखित सहमति से तोड़े गए फलों, पत्तियों या वृक्षों की गिरी हुई शाखाओं को छोड़कर) भी, उन्हें चिह्नानाकित करने, काटने, गिराने और ले जाने के लिए परिसर में प्रवेश करने के अधिकार सहित, उसके अन्तर्गत नहीं है। पट्टेदार को उक्त परिसर का पट्टा तारीख ————— से ————— वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है, किन्तु यह तब जब पट्टेदार उक्त अवधि के दौरान वार्षिक किराए के रूप में सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड के कार्यालय में या उस स्थान पर, जो सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड इस निमित्त समय-समय पर नियत करे, सभी कटौतियों से मुक्त रूप में, संदाय प्रत्येक वर्ष ————— को और ————— को बराबर की छमाही किस्तों में करे। ऐसी प्रथम किस्त का संदाय आगामी ————— की ————— तारीख को किया जाएगा।

I. पट्टेदार, पट्टाकर्ता से प्रसविदा करता है/करते हैं कि वह :-

(1) पट्टाकर्ता को, इसके द्वारा आरक्षित वार्षिक किराए का संदाय, उन तारीखों को और उस रीति में करेगा जो इसमें इसके पूर्व नियत की गई है।

(2) समय-समय पर और सभी समय हर प्रकार के सभी रेंटों, करों, प्रभारों और निर्धारणों का संदाय और उन्मोचन करेगा, जो इसके द्वारा अन्तरित परिसर पर या उस पर बनाए जाने वाले किन्हीं भवनों पर या उनके संबंध में भू-स्वामी या अभिधारी पर इस समय या इस पट्टे की उक्त अवधि के दौरान इसके पश्चात् किसी समय निर्धारित, प्रभारित या अधिरोपित किए गए हैं या किए जाएं।

(3) सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी किसी टिम्बर, फलदार वृक्षों या अन्य वृक्षों को नहीं काटेगा जो इसके द्वारा अन्तरित परिसर पर इस समय उगे हैं या बाद में उगें, अपितु उनका भली प्रकार अनुरक्षण करेगा।

(4) सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड की लिखित सहमति के बिना और उसके द्वारा विहित निबंधनों और शर्तों के अनुसरण के सिवाय, इसके द्वारा अन्तरित भूमि में कोई उत्खनन नहीं करेगा या उक्त भूमि से कोई खनिज, खनिज पदार्थ चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, बालू या मिट्टी नहीं हटाएगा।

(5) इस करार की तारीख के पश्चात् ————— कलैण्डर मास के भीतर अपने ही खर्च पर, इसके द्वारा अन्तरित परिसर पर, छावनी अधिनियम के उपबंधों के अधीन, छावनी बोर्ड द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित नक्शों के अनुसार निवास उपयोग के लिए निवास गृहों का, उनके उपगृहों, मलनालियों, नालियों और अन्य अनुलग्नकों का निर्माण करेगा और उन्हें उस प्रयोजन के लिए सुव्यवस्थित करेगा। साथ ही इसके द्वारा अन्तरित परिसर पर, कमान मुख्य कमान अधिकारी की लिखित पूर्व सहमति के बिना, निर्मित किए जाने के लिए इसके द्वारा प्रसविदाकृत निवास गृहों/————— से भिन्न और उनके सिवाय, कोई निर्माण न तो करेगा और न करने देगा।

(6) यथापूर्वोक्त सहमति के बिना उक्त निवास गृहों के नक्शे या उत्थापन में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और ऐसे गृहों का निवासीय प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए न तो उपयोग करेगा और न करने की अनुज्ञा देगा।

(7) उक्त अवधि के दौरान सभी समयों पर उक्त निवास गृहों और परिसर को अच्छी और ठीक मरम्मत की हालत में रखेगा और उक्त अवधि की समाप्ति या पूर्वतर समाप्ति पर उसका कच्चा पट्टाकर्ता को अच्छी और ठीक मरम्मत की हालत में सौंप देगा।

(8) इसके द्वारा अन्तरित परिसर या उसके किसी भाग के प्रत्येक समनुदेशन, अन्तरण या उप-पट्टे की सूचना, सेना संपदा अधिकारी को ऐसे समनुदेशन, अन्तरण या उप-पट्टे के एक कलैण्डर मास के भीतर देगा, जिसमें ऐसे समनुदेशन, अन्तरण या उप-पट्टे के पक्षकारों के नाम और वर्णन तथा अन्य प्रविष्टियां और उनका प्रभाव दर्शित किया जाएगा :

II. परन्तु यह सदैव कि यदि इसके द्वारा आरक्षित किराए का कोई भाग, उसके शोध्य होने की तारीख के पश्चात् से एक कलैण्डर



मास तक बकाया या असंदत रह जाता है, चाहे उसके लिए मांग की गई हो या नहीं अथवा यदि इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी प्रसविदा या शर्त का, पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा या उसकी/उनकी मारफत या उसके/उनके अधीन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भंग किया जाता है तो ऐसे मामले में पट्टाकर्ता, किसी पूर्वतन हेतुक या पुनर्प्रवेश के अधिकार के अधित्यजन के होते हुए भी, इसके द्वारा अन्तरित परिसर के किसी भाग में या उस पर बने भवन में प्रवेश कर सकेगा और तत्पश्चात् से परिसर और भवन पट्टाकर्ता के प्रयोग में और उसमें निहित रहेंगे और यह अन्तरण पूर्णतः समाप्त हो जाएगा तथा पट्टेदार किसी भी प्रकार के प्रतिकर का/के हकदार नहीं होगा/होंगे :

III. परन्तु यह और भी कि इसमें इसके पश्चात् प्रयुक्त पद "गवर्नर जनरल" और पट्टेदार/पट्टेदारों के अन्तर्गत, जब तक कि ऐसा निर्वचन संदर्भ के प्रतिकूल न हो, "गवर्नर जनरल" की दशा में उसके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिनी और "पट्टेदार/पट्टेदारों" की दशा में उसके/उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और समनुदेशिनी भी है।

#### ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची

उक्त सम्पूर्ण भू-भाग \_\_\_\_\_ पर स्थित है और छावनी के साधारण भूमि रजिस्टर में, सर्वेक्षण संख्यांक \_\_\_\_\_ के (भाग) रूप में दर्ज है। उसकी सीमाएं निम्नलिखित हैं :-

उत्तर में \_\_\_\_\_  
दक्षिण में \_\_\_\_\_  
पूर्व में \_\_\_\_\_  
पश्चिम में \_\_\_\_\_

इसके साक्ष्यस्वरूप इस करार के पक्षकारों ने इस पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर किए।

(हस्ताक्षर)

सपरिषद गवर्नर जनरल के लिए और उनकी ओर से श्री \_\_\_\_\_ ने

साक्षी :- 1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

(हस्ताक्षर)

ऊपर नामित श्री \_\_\_\_\_ ने

साक्षी :- 1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

#### अनुसूची 10

[नियम 31(1) देखिए]

#### भवन का शाश्वत् पट्टा

यह करार एक पक्षकार के रूप में सपरिषद गवर्नर जनरल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "पट्टाकर्ता" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में \_\_\_\_\_ (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है) के बीच में आज तारीख \_\_\_\_\_ को किया गया।

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 280 के अधीन बनाए गए नियमों के आधार पर सेना संपदा अधिकारी/\_\_\_\_\_ छावनी बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड कहा गया है) ने पट्टाकर्ता की ओर से \_\_\_\_\_ द्वारा पुष्टि कर दी जाने पर इसमें आगे वर्णित भू-भाग का पट्टा, पट्टेदार/पट्टेदारों के पक्ष में, इसमें आगे बताई गई रीति में, करने का करार किया है।

अतः यह करार इस बात का साक्षी है कि इस विलेख के निष्पादन के पूर्व दिए गए \_\_\_\_\_ रूप के प्रीमियम (जिसकी प्राप्ति पट्टाकर्ता इसके द्वारा अभिस्वीकार करता है) के और इसमें आगे आरक्षित किराए के तथा इसमें आगे दी गई और पट्टेदार की ओर से की गई प्रसविदाओं के प्रतिफलस्वरूप पट्टाकर्ता, पट्टेदार/पट्टेदारों को वह सम्पूर्ण भू-खंड अंतरित करता है जिसका क्षेत्रफल \_\_\_\_\_ है और जो \_\_\_\_\_ छावनी में \_\_\_\_\_ में स्थित है। इस भूखंड का विस्तृत वर्णन इसमें इसके पश्चात् दी गई अनुसूची में किया गया है। अधिक स्पष्टता के लिए उस भूखंड की सीमाएं इस विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शित की गई हैं और उसमें \_\_\_\_\_ रंग भरा गया है। इस भू-खण्ड का अन्तरण, भू-खंड के या उससे अनुलग्न सभी अधिकारों, सुखाचारों और अनुलगनकों के साथ किया जाता है। पट्टेदार इसके द्वारा अंतरित पट्टे को तारीख \_\_\_\_\_ से शाश्वत् रूप से धारण करेगा/करेंगे, किन्तु इस अन्तरण के अंतर्गत, इस करार द्वारा अंतरित परिसर में या उसके नीचे सभी प्रकार की खान, खनिज-पदार्थ, बालू और मिट्टी नहीं है जो पट्टाकर्ता के लिए आरक्षित है और जिनकी बाबत उसे ऐसे सभी कार्य और बातें करने के सभी अधिकार और पूर्ण स्वतंत्रता है जो उनकी खुदाई, खनन, अभिप्राप्ति हटाए जाने और उपयोग के लिए आवश्यक या समीचीन हैं किन्तु यह तब जब पट्टेदार/पट्टेदारों को हुए नुकसान के लिए उचित प्रतिकर दिया जाए और ऐसी सब टिम्बर, फलदार वृक्ष और अन्य वृक्ष (किन्तु सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड की लिखित सहमति से तोड़े गए फलों, पत्तियों या वृक्षों की गिरी हुई शाखाओं को छोड़कर) भी उन्हें चिन्हांकित करने, काटने, गिराने, ले जाने के लिए परिसर में प्रवेश करने के अधिकार सहित, उसके अन्तर्गत नहीं है। किन्तु यह तब जब कि पट्टेदार उक्त अवधि के दौरान वार्षिक किराए के रूप में सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड के कार्यालय में या उस स्थान पर, जो सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड इस निमित्त समय-समय पर नियत करे, सभी कटौतियों से मुक्त रूप में, संवाय प्रत्येक वर्ष \_\_\_\_\_ को और \_\_\_\_\_ को बराबर की छमाही किस्तों में करे/ऐसी प्रथम किस्त का संवाय \_\_\_\_\_ की \_\_\_\_\_ तारीख को किया जाएगा।



I. पट्टेदार, पट्टाकर्ता से प्रसविदा करता है/करते हैं कि वह/वे,—

(1) पट्टाकर्ता को, इसके द्वारा आरक्षित किराए का संदाय उन तारीखों को और उस रीति में करेगा/करेंगे जो इसमें इसके पश्चात् नियत की गई हैं।

(2) समय-समय पर और सभी समय हर प्रकार के ऐसे रेंटों, करों, प्रभारों और निर्धारणों का संदाय और उन्मोचन करेगा/करेंगे जो इसके द्वारा अन्तरित परिसर पर या उस पर बनाए जाने वाले किन्हीं भवनों पर या उनके संबंध में भू-स्वामी या अभिधारी पर इस समय या इस पट्टे की उक्त अवधि के दौरान इसके पश्चात् किसी समय अधिरोपित, प्रभारित या निर्धारित किए गए हैं या किए जाएं।

(3) सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसे किसी टिम्बर, फलदार वृक्षों को नहीं काटेगा जो इसके द्वारा अन्तरित परिसर पर इस समय उगे हैं या बाद में उगे, अपितु उनका भली प्रकार अनुरक्षण करेगा/करेंगे।

(4) सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड की सहमति के बिना और उसके द्वारा विहित निबंधनों और शर्तों के अनुसरण के सिवाय, इसके द्वारा अन्तरित भूमि में कोई उत्खनन नहीं करेगा या उक्त भूमि से कोई खनिज, खनिज पदार्थ, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, बालू या मिट्टी नहीं हटाएगा/हटाएंगे।

(5) इस करार की तारीख के पश्चात्—  
कलैण्डर मास के भीतर अपने ही खर्च पर, इसके द्वारा अन्तरित परिसर पर, छावनी अधिनियम के उपबंधों के अधीन, छावनी बोर्ड द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित नक्शों के अनुसार निवास/उपयोग के लिए, निवास-गृहों/का, उनके उपगृहों मलनालियों, नालियों और अन्य अनुलगनों सहित निर्माण करेगा/करेंगे और उन्हें उस प्रयोजन के लिए सुव्यवस्थित करेगा/करेंगे। साथ ही इसके द्वारा अन्तरित परिसर पर, कमान के मुख्य कमान अधिकारी की लिखित पूर्व सहमति के बिना, निर्मित किए जाने के लिए इसके द्वारा प्रसविदाकृत निवास गृहों से भिन्न और उनके सिवाय कोई निर्माण नहीं करेगा/करेंगे और न करने देगा/देगे।

(6) यथापूर्वोक्त सहमति के बिना उक्त निवास गृहों के नक्शे या उत्थापन में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और ऐसे गृहों का निवासीय प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए न तो उपयोग करेगा/करेंगे और न करने की अनुज्ञा देगा/देगे।

(7) सभी समयों पर उक्त निवास गृहों/\_\_\_\_\_ और परिसर को अच्छी और ठीक मरम्मत की हालत में रखेगा/रखेंगे और उक्त अवधि की समाप्ति पर उसका कब्जा पट्टाकर्ता को अच्छी और ठीक मरम्मत की हालत में सौंप देगा।

(8) इसके द्वारा अन्तरित परिसर या उसके किसी भाग के प्रत्येक समनुदेशन, अन्तरण या उप-पट्टे की सूचना सेना संपदा अधिकारी को ऐसे समनुदेशन, अन्तरण या उप-पट्टे के

एक कलैण्डर मास के भीतर देगा/देगे जिसमें ऐसे समनुदेशन, अन्तरण या उप-पट्टे के पक्षकारों के नाम और वर्णन तथा अन्य प्रविष्टियां और उनका प्रभाव दर्शित किया जाएगा :

II. परन्तु यह सदैव कि यदि इसके द्वारा आरक्षित किराए का कोई भाग, उसके शोध्य होने की तारीख के पश्चात् से एक कलैण्डर मास तक बकाया या असंदत्त रह जाता है चाहे उसके लिए मांग की गई हो या नहीं, अथवा यदि इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी प्रसविदा या शर्त का पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा या उसकी/उनकी मार्फत या उसके/उनके अधीन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भंग किया जाता है तो ऐसे मामले में पट्टाकर्ता, किसी पूर्वतन हेतुक या पुनर्प्रवेश के अधिकार के अधित्यजन के होते हुए भी, इसके द्वारा अन्तरित परिसर के किसी भाग में या उससे बने-भवन में प्रवेश कर सकेगा और तत्पश्चात् से परिसर और भवन पट्टाकर्ता के प्रयोग में और उसमें निहित रहेंगे और यह अन्तरण पूर्णतः समाप्त हो जाएगा तथा पट्टेदार किसी भी प्रकार के प्रतिकर का/के हकदार नहीं होगा/होगे :

III. परन्तु यह भी कि इसके द्वारा अन्तरित परिसरों का किराया, तीस वर्ष से अन्यून की प्रत्येक उत्तरवर्ती अवधि की समाप्ति पर पुनरीक्षण के अधीन होगा, किन्तु कोई भी वृद्धि, यदि कोई हो, किसी भी दशा में उस अवधि से जिसकी बाबत ऐसा पुनरीक्षण किया गया है, तुरंत पूर्ववर्ती अवधि के दौरान संदेय किराए के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

IV. परन्तु यह और भी कि इसमें इसके पूर्व प्रयुक्त पद "पट्टाकर्ता" और "पट्टेदार/पट्टेदारों" के अन्तर्गत, जब तक कि ऐसा निर्वचन संदर्भ के प्रतिकूल न हो, "पट्टाकर्ता" की दशा में उसके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिनी और "पट्टेदार/पट्टेदारों" की दशा में उसके/उनके वारिस, वैयक्तिक प्रतिनिधि और समनुदेशिनी भी हैं।

#### ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची

उक्त सम्पूर्ण भू-भाग \_\_\_\_\_ पर स्थित है और छावनी के साधारण भूमि रजिस्टर में, सर्वेक्षण संख्यांक \_\_\_\_\_ के (भाग) रूप में दर्ज है/उसकी सीमाएं निम्नलिखित हैं:—

उत्तर में \_\_\_\_\_

दक्षिण में \_\_\_\_\_

पूर्व में \_\_\_\_\_

पश्चिम में \_\_\_\_\_

इसके साक्ष्य स्वरूप इस करार के पक्षकारों ने इस पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर किए।

सपरिषद् गवर्नर जनरल के लिए और उनकी ओर से श्री \_\_\_\_\_ ने

(हस्ताक्षर)

साक्षी :— 1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।



उक्त श्री \_\_\_\_\_ ने  
\_\_\_\_\_ (हस्ताक्षर)

साक्षी :- 1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

### अनुसूची 11

[नियम 31(2) देखिए]

#### लोक प्रयोजन के लिए अनुकूल निबंधनों पर भवन का शाश्वत पट्टा

यह करार एक पक्षकार के रूप में सपरिषद् गवर्नर जनरल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "पट्टाकर्ता" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में \_\_\_\_\_ (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है) के बीच आज तारीख \_\_\_\_\_ को किया गया।

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 280 के अधीन बनाए गए नियमों के आधार पर सेना संपदा अधिकारी/\_\_\_\_\_ छावनी बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड" कहा गया है) ने पट्टाकर्ता की ओर से इसमें आगे वर्णित भू-खंड, इसमें आगे उल्लिखित रीति में \_\_\_\_\_ के निर्माण के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों को पट्टांतरित करने का करार किया है।

अतः यह करार इस बात का साक्षी है कि इसमें आगे आरक्षित किराए के और पट्टेदार/पट्टेदारों की ओर से की गई प्रसविदाओं के प्रति फलस्वरूप, पट्टाकर्ता, पट्टेदार/पट्टेदारों को वह सम्पूर्ण भू-खंड अंतरित करता है जो \_\_\_\_\_ छावनी में \_\_\_\_\_ स्थित है और जिसका क्षेत्रफल \_\_\_\_\_ है। इस भू-खंड का विस्तृत वर्णन इसमें आगे दी गई अनुसूची में किया गया है। अधिक स्पष्टता के लिए उस भू-खंड की सीमाएं इस विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाई गई हैं और उसमें \_\_\_\_\_ रंग भरा गया है। इस भू-खण्ड का अन्तरण, भू-खंड में या उससे अनुलग्न सभी अधिकारों, सुखाचारों और अनुलग्नकों के साथ किया जाता है। पट्टेदार, इसके द्वारा अंतरित परिसर को तारीख \_\_\_\_\_ से शाश्वत रूप से धारण करेगा/करेंगे। यह अंतरण इस शर्त पर किया गया है। पट्टेदार उक्त भू-खंड के लिए वार्षिक किराए के रूप में \_\_\_\_\_ रूप का अग्रिम रूप में संदाय, सभी कटौतियों से मुक्त रूप में सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड के कार्यालय में या ऐसे किसी अन्य स्थान पर करेगा/करेंगे जो सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। ऐसा प्रथम संदाय आगामी \_\_\_\_\_ को किया जाएगा।

I. पट्टेदार, पट्टाकर्ता से प्रसविदा करता/करते हैं कि वह/वे :-

(1) पट्टाकर्ता को, इसके द्वारा आरक्षित वार्षिक किराए का संदाय, उन तारीखों को और उस रीति में करेगा/करेंगे जो इसमें इसके पूर्व नियत की गई हैं।

(2) समय-समय पर और सभी समयों पर हर प्रकार के ऐसे सभी रेटों, करों, प्रभारों और निर्धारणों का संदाय और उन्मोचन करेगा/करेंगे जो इसके द्वारा अन्तरित परिसर पर उस पर बनाए जाने वाले किन्हीं भवनों पर या उनके संबंध में भू-स्वामी या अभिधारी पर इस समय या इस पट्टे के जारी रहने के दौरान इसके बाद किसी समय निर्धारित, प्रभारित या अधिरोपित किए गए हों या किए जाएं।

(3) इस करार की तारीख के पश्चात् से \_\_\_\_\_ कलैण्डर मास के भीतर वह/वे अपने तारीख पर, छावनी अधिनियम के उपबंधों के अधीन छावनी बोर्ड द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित किए जाने वाले नक्शों अनुसार इसके द्वारा अंतरित परिसर पर \_\_\_\_\_ का परिनिर्माण करेगा/करेंगे और उसे उपयोगी दशा में प्रस्तुत करेगा/करेंगे और इसके द्वारा अंतरित परिसर या उसके किसी भाग पर, कमान के आफिसर कमांडिंग इन चीफ\* की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसा कार्य भवन निर्माण नहीं करेगा/करेंगे जो निर्मित किए जाने के लिए इसके द्वारा प्रसविदा किए गए भवन से भिन्न या उसके सिवाय है।

(4) उक्त \_\_\_\_\_ के नक्शे या उत्पादन में यथापूर्वोक्त सम्मति के बिना, कोई परिवर्तन नहीं करेगा/करेंगे और \_\_\_\_\_ के प्रयोजन से भिन्न किले प्रयोजन के लिए उसका न तो प्रयोग करेगा/करेंगे और न करने की अनुज्ञा देगा/देंगे।

(5) उक्त \_\_\_\_\_ को और परिसर को सदा यथावश्यक अच्छी और ठीक मरम्मत की हालत में रखेगा/रखेंगे और इस पट्टे की समाप्ति पर उसका कब्जा पट्टाकर्ता को अच्छी और ठीक मरम्मत की हालत में वा \_\_\_\_\_ करेगा/करेंगे।

(6) इसके द्वारा अन्तरित परिसर या उसके किसी भाग के प्रत्येक समनुदेशन अन्तरण या उपपट्टे की सूचना, \_\_\_\_\_ समनुदेशन, अन्तरण या उपपट्टे के एक कलैण्डर मास के भीतर, सेना संपदा अधिकारी को देगा/देंगे, जिसमें ऐसे समनुदेशन, अन्तरण या उपपट्टे के पक्षकारों के नाम \_\_\_\_\_ वर्णन तथा अन्य प्रविष्टियां और उसका प्रभाव दर्शित किया जाएगा :

II. परन्तु सदैव यह कि यदि इसके द्वारा आरक्षित किराए का कोई भाग, उसके शोध्य हो जाने की तारीख के पश्चात् से एक कलैण्डर मास तक बकाया या असंबल रह जाता है, चाहे उसके लिए मांग की गई हो या नहीं, अथवा यदि इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी प्रसविदा या शर्त का, पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा उसके/उनके अधीन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भंग किया जाता है तो ऐसे मामले में पट्टाकर्ता, किसी पूर्वतन हेतुक या पुनर्प्रवेश के अधिकार के अधित्यजन के होते हुए \_\_\_\_\_ इसके द्वारा अन्तरित परिसर के किसी भाग में या उस पर बने भवन में



समग्र रूप में प्रवेश कर सकेगा और तब उक्त परिसर और भवन पट्टाकर्ता के उपयोग में निहित रहेगा और यह अंतरण पूर्णतः समाप्त हो जाएगा तथा पट्टेदार किसी भी प्रकार के प्रतिकर का हकदार नहीं होगा :

III. परन्तु यह भी कि इसमें इसके पूर्व में प्रयुक्त पद "सपरिषद् गवर्नर जनरल" और "पट्टेदार/पट्टेदारों" के अंतर्गत जब तक कि ऐसा निर्वचन संदर्भ के प्रतिकूल न हो, "सपरिषद् गवर्नर जनरल" की दशा में उनके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिनी तथा "पट्टेदार/पट्टेदारों" की दशा में उसके/उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और समनुदेशिनी भी है/हैं।

#### ऊपर उल्लिखित अनुसूची

उक्त सम्पूर्ण भू-भाग \_\_\_\_\_ में स्थित है और छावनी के साधारण भूमि रजिस्टर में, सर्वेक्षण संख्या \_\_\_\_\_ के रूप में (भागतः) दर्ज है। उसकी सीमाएं निम्नलिखित हैं :-

उत्तर में \_\_\_\_\_  
दक्षिण में \_\_\_\_\_  
पूर्व में \_\_\_\_\_  
पश्चिम में \_\_\_\_\_

इसके साक्ष्यस्वरूप इस करार के पक्षकारों ने इस पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर किए।

सपरिषद् गवर्नर जनरल के लिए और उनकी ओर से श्री \_\_\_\_\_ ने,  
\_\_\_\_\_  
(हस्ताक्षर)

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

उक्त श्री \_\_\_\_\_ ने,  
\_\_\_\_\_  
(हस्ताक्षर)

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

टिप्पण :- पट्टे के निष्पादन से पूर्व केन्द्रीय सरकार की मंजूरी प्राप्त कर ली जाए।

#### अनुसूची 12

[नियम 33(1) देखिए]

#### कृषि भूमि का पट्टा

##### सूचना

सूचित किया जाता है कि इसमें नीचे विनिर्दिष्ट भूमि का पट्टा इसमें नीचे कथित अवधि और शर्तों के अधीन रहते हुए, ( \_\_\_\_\_ द्वारा मंजूरी की पुष्टि कर दी जाने पर) \_\_\_\_\_ में तारीख \_\_\_\_\_ को \_\_\_\_\_ बजे सबसे अधिक किराए की बोली लगाने वाले को नीलाम/निविदा द्वारा

मंजूर किया जाएगा। सफल बोली लगाने वाला, निष्पादित किए जाने वाले पट्टे के प्ररूप और भूमि के नक्शों का निरीक्षण, सैनिक संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड के कार्यालय में कर सकता है।

#### विशिष्टियां

- (1) वार्ड, सर्वेक्षण संख्यांक या सीमाएं
- (2) क्षेत्रफल
- (3) पट्टे की अवधि।

#### भू-धृति की शर्तें

(1) पट्टेदार, पट्टे में विनिर्दिष्ट तारीखों को किराए का नियमित रूप से संदाय करेगा।

(2) पट्टेदार, भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजनों से भिन्न और छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 144 के उपबंधों के अनुसार के सिवाय किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेगा और सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड की लिखित में मंजूरी के बिना उसमें, उस पर कोई वृक्षारोपण नहीं करेगा, किसी जगह खुदाई नहीं करेगा या वहां से किसी प्रकार की रेत, मिट्टी या खनिज पदार्थ नहीं हटाएगा।

(1क) पट्टेदार भूमि पर कुएं को छोड़कर छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 2 के खंड (IV) में यथापरिभाषित कोई भवन निर्मित नहीं करेगा और कुएं का निर्माण सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड की सहमति के बिना नहीं करेगा। कमान के आफिसर कमांडिंग इन चीफ की पूर्व मंजूरी के बिना भूमि पर कोई अस्थायी संरचना निर्मित नहीं की जाएगी।

(2ख) पट्टेदार भूमि पर स्थित सभी कुओं का, सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड के समाधानप्रद रूप में ठीक दशा में अनुरक्षण करेगा।

(3) पट्टेदार, सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड की लिखित मंजूरी के बिना भूमि या उसके किसी भाग या उसमें अपने अधिकारों या हितों को किसी तीसरे पक्षकार को समनुदेशित नहीं करेगा, उपपट्टे पर नहीं देगा, अंतरित नहीं करेगा या उसका कब्जा नहीं देगा। परन्तु यदि पट्टे की समाप्ति से पूर्व पट्टेदार की मृत्यु हो जाती है तो सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड उसके वारिस या वारिसों को पट्टे की शेष अवधि के लिए भूमि धारण करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(4) सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड की राय में पट्टेदार द्वारा पालन और अनुपालन की जाने वाली शर्तों के किसी भंग की दशा में सपरिषद् गवर्नर जनरल, भूमि पर कब्जा करने और पट्टे को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे और पट्टेदार किसी भी प्रकार के प्रतिकर के लिए हकदार नहीं होगा।

(5) पट्टे के चालू रहने के दौरान किसी भी समय सपरिषद् गवर्नर जनरल के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वे लिखित में \_\_\_\_\_ दिन की सूचना देकर भूमि पर पुनःकब्जा/पुनःकब्जा करने के समय उस पर खड़ी फसलों के लिए, यदि कोई हो, उचित प्रतिकर का संदाय करके और पट्टे के समाप्त न हुए भाग के लिए किराए के आनुपातिक भाग को जमा कराने पर, कर ले।

#### नीलामी की शर्तें

(1) पट्टा सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को दिया जाएगा और यदि दो या अधिक बोली लगाने वालों के बीच कोई विवाद उत्पन्न



होता है तो ऐसी भूमि को अन्त में अविवादित बोली पर पुनः नीलाम किया जाएगा। नीलाम के समय बोली बढ़ाने में कोई भी व्यक्ति नीलामकर्ता द्वारा नियत की गई राशि से कम राशि की वृद्धि नहीं करेगा तथा बोली वापस नहीं लेगा। विक्रेता की बोली लगाने का अधिकार होगा।

(2) सबसे ऊँची बोली लगाने वाला नीलामी के पश्चात् नीलामीकर्ता को अपने द्वारा बोली गई दर पर एक वर्ष के किराए/एक तिमाही के किराए/एक मास के किराए के बराबर रकम तुरंत संदत्त करेगा और भूमि का पट्टा निष्पादित करने के लिए नीचे दिए गए करार के प्ररूप पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) पट्टा, मंजूरी की पुष्टि कर दी जाने के 30 दिन के भीतर सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड के कार्यालय में निष्पादित किया जाएगा। यदि मंजूरी की पुष्टि नहीं की जाती तो सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को उक्त राशि वापस कर दी जाएगी।

(4) विशिष्टियों में भूमि के दिए गए वर्णन पर विश्वास किया गया है और उसे सही समझा जाएगा तथा यदि उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उससे मंजूरी, बातिल नहीं होगी और न ही उसके बारे में कोई प्रतिकर अनुज्ञात किया जाएगा।

(5) यदि सबसे ऊँची बोली लगाने वाला इन शर्तों का पालन करने में असफल रहता है तो पट्टाकर्ता उसके निक्षिप्त धन को

समपहृत कर लेगा और वर्तमान नीलामी में सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को कोई सूचना देकर या उसके बिना ऐसी भूमि को पुनः नीलाम कर सकेगा।

ज्ञापन—उक्त भूमि का, जिसकी विशिष्टियां ऊपर दी गई हैं, पट्टा आज तारीख \_\_\_\_\_ नीलामी द्वारा किया गया जिसमें \_\_\_\_\_ के श्री \_\_\_\_\_ ने सबसे ऊँची बोली दी थी और उन्हीं को \_\_\_\_\_ द्व. मंजूरी की पुष्टि के अधीन रहते हुए, उक्त भूमि का पट्टेदार घोषित किया गया है और श्री \_\_\_\_\_ ने निक्षेप के रूप में \_\_\_\_\_ रूप की राशि, सपरि गवर्नर जनरल के लिए और उनकी ओर से कार्यरत श्री \_\_\_\_\_ को संदत्त कर दी है और इसके द्वारा वह इसके साथ उपाब्ध प्ररूप \_\_\_\_\_ (जिसके अधीन मंजूरी की पुष्टि की तारीख से किराया संदेय होगा) पट्टा निष्पादित करने का करार करता है तथा पट्टाकर्ता के अभिकर्ता के रूप में उक्त \_\_\_\_\_ इसके द्वारा उक्त निक्षेप की प्राप्ति अभिस्वीकृत करता है।

आज तारीख \_\_\_\_\_ को \_\_\_\_\_ छावनी में इस पर हस्ताक्षर किए गए।

हस्ताक्षर

### अनुसूची 13

[नियम 34(1) देखिए]

### सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड का मंजूरी रजिस्टर (कृषि भूमि)

क्रम सं.	क्षेत्रफल एकड़ में	विशेषियां भूमि का स्वरूप और मूल्य, व्ययन की अवधि आदि	वर्ष	प्रति एकड़ वार्षिक किराया					
1	2	3	4	5					
				सर्वेक्षण सं. 100	सर्वेक्षण सं. 101	सर्वेक्षण सं. 102	सर्वेक्षण सं. 103	सर्वेक्षण सं. 104	



## अनुसूची 14

## [नियम 35(1) देखिए]

यह करार एक पक्षकार के रूप में सपरिषद् गवर्नर जनरल (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टाकर्ता" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में \_\_\_\_\_ (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है) के बीच आज तारीख \_\_\_\_\_ को किया गया।

छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 280 के अधीन बनाए गए नियमों के आधार पर \_\_\_\_\_ सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड कहा गया है) ने पट्टाकर्ता की ओर से \_\_\_\_\_ द्वारा पृष्टि कर दी जाने पर) इसमें आगे वर्णित भू-भाग पट्टेदार/पट्टेदारों के पक्ष में, इसमें आगे बताई गई रीति में पट्टांतरित करने का करार किया है।

अतः यह करार इस बात का साक्षी है कि इसमें आगे आरक्षित किराए के और पट्टेदार/पट्टेदारों की ओर से की गई, इसमें आगे दी गई प्रसविदाओं के प्रतिफल स्वरूप पट्टाकर्ता, पट्टेदार/पट्टेदारों को वह संपूर्ण भूखंड अंतरित करता है जो \_\_\_\_\_ छावनी में \_\_\_\_\_ में स्थित है और जिसका क्षेत्रफल \_\_\_\_\_ या उसके लगभग है और जिसका वर्णन इसमें आगे दी गई अनुसूची में किया गया है। उस भूखंड की सीमाएं इस विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाई गई हैं और उसमें रंग भरा गया है। पट्टेदार/उसके/उनके अनुज्ञात उत्तरवर्ती और समनुदेशिनी इसके द्वारा अंतरित भूखंड को, \_\_\_\_\_ इसके लिए अग्रिम में \_\_\_\_\_ रूप के वार्षिक/त्रैमासिक/मासिक किराए का संदाय करके \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ वर्ष की अवधि के लिए धारण करेगा/करेंगे।

I. पट्टेदार, उसके/उनके लिए उसके/उनके वारिस और समनुदेशिनी इसके द्वारा पट्टाकर्ता से प्रसविदा/प्रसविदाएं करता है/करते हैं कि वह/वे :-

(1) उक्त अवधि के दौरान वार्षिक/त्रैमासिक/मासिक किराए का और ऐसे सभी उपकरणों, रेंटों और निर्धारणों का भी, जो उक्त भूमि की बाबत इस समय या इसके पश्चात् किसी समय संदेय हों, संदाय पूर्वोक्त समयों और रीति में करेगा।

(2) उक्त भूमि का उपयोग, कृषि प्रयोजनों से भिन्न और छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 144 के उपबंधों के अनुसार के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा और सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड की लिखित मंजूरी के बिना उस पर, उसमें या वहां से कोई वृक्षारोपण नहीं करेगा, कंकड़ नहीं खोदेगा या किसी वर्णन की कोई रेत, मिट्टी या खनिज पदार्थ नहीं हटाएगा।

(3) (क) उक्त भूमि पर कुएं से भिन्न छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 2 के खंड (iv) में यथापरिभाषित कोई भवन संनिर्मित नहीं करेगा।

(ख) उक्त भूमि में सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड की लिखित मंजूरी के बिना किसी कुएं का या कमान के

आफिसर कमांडिंग इन चीफ की लिखित मंजूरी के बिना को वहनीय या अस्थायी संरचना का निर्माण नहीं करेगा।

(4) उक्त भूमि पर सभी कुओं को सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड के समाधानप्रद रूप में ठीक दशा में रखेगा/रखेंगे।

(5) इस पट्टे की समाप्ति पर या समय से पूर्व समाप्ति पर इसके द्वारा अंतरित भूमि, पट्टाकर्ता को शांतिपूर्वक वापस कर देगा/देगे।

(6) उक्त भूमि या उसके किसी भाग का कब्जा या इस विलेख के अधीन उसमें अपने किसी अधिकार या हित को सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड की लिखित मंजूरी के बिना समनुदेशित नहीं करेगा/करेंगे, कम किराए पर नहीं देगा/देगे, अंतरित नहीं करेगा/करेंगे या छोड़ेगा/छोड़ेंगे नहीं।

II. परंतु यह सदैव कि उक्त अवधि के दौरान पट्टाकर्ता के लिए किसी भी समय या समयों पर यह विधिपूर्ण होगा कि वह लिखित में \_\_\_\_\_ दिन की सूचना देकर उक्त भूमि या उसके किसी भाग का कब्जा वापस ले ले या पट्टेदार/पट्टेदारों की किराएदारी को समाप्त कर दे। वह इस मध्ये पट्टेदार/पट्टेदारों को, ऐसे वापस लिए जाने के समय उक्त भूमि पर खड़ी फसलों, यदि कोई हों, के लिए उचित संदाय के और उक्त अवधि के शेष बचे भाग के लिए किराए के आनुपातिक भाग के उपशमन के सिवाय किसी प्रतिकर का संदाय नहीं करेगा :

III. परन्तु यह भी कि यदि उक्त अवधि की समाप्ति या पूरा होने से पहले पट्टेदार/पट्टेदारों या तत्समय उक्त भूमि को धारण करने के लिए हकदार व्यक्ति (या व्यक्तियों) की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मृतक व्यक्ति या व्यक्तियों का/के वारिस, यदि सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड द्वारा लिखित में ऐसा अनुज्ञात किया जाता है, इसमें अभिव्यक्त प्रसविदाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए तत्पश्चात् उक्त शेष अवधि के लिए उक्त भूमि को धारण करने के हकदार हो जाएंगे और यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस प्रकार हकदार होगा और उक्त भूमि को धारण करेगा तो इसके द्वारा मंजूर की गई उक्त अवधि यथापूर्वोक्त ऐसे मृतक व्यक्ति की मृत्यु की तारीख से समाप्त हुई समझी जाएगी :

IV. परंतु यह और भी कि यदि और जब कभी इसके द्वारा आरक्षित किराए का कोई भाग, ऐसी किसी तारीख के, जब वह देय हो गया हो, पश्चात् आगामी \_\_\_\_\_ दिन के लिए असंवत्त रहता है, चाहे उसके लिए मांग की गई हो या नहीं या यदि सेना संपदा अधिकारी/छावनी बोर्ड की राय में पट्टेदार/पट्टेदारों, उसके/उनके वारिसों या समनुदेशितियों की ओर से इसमें अंतर्निहित प्रसविदाओं या शर्तों में से किसी का भंग हुआ है तो ऐसे मामले में पट्टाकर्ता को तत्पश्चात् किसी भी समय उक्त भूमि पर कब्जा करने का अधिकार होगा और तदुपरांत यह पट्टांतरण पूर्णतः समाप्त हो जाएगा और पट्टेदार किसी भी प्रकार के प्रतिकर के लिए हकदार नहीं होगा/होंगे।

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची



इसके साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षकारों ने इस पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर किए।

हस्ताक्षर

सपरिषद् गवर्नर जनरल की ओर से

श्री \_\_\_\_\_ ने

साक्षी : \_\_\_\_\_

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

हस्ताक्षर

उक्त श्री \_\_\_\_\_ ने

साक्षी : \_\_\_\_\_

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

**टिप्पण :—**(i) चार वर्ष से अनधिक के लिए पट्टे की मंजूरी छावनी बोर्ड द्वारा अपनी स्वप्रेरणा पर दी जा सकती है। सेना संपदा अधिकारी के प्रबंधाधीन "ख" (4) भूमि के चार वर्ष से अनधिक के पट्टों के लिए कमान के मुख्य कमान अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित है। सेना संपदा अधिकारी द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के लिए दिए जाने वाले "क" (2) भूमि के पट्टों के लिए कमान के मुख्य कमान अधिकारी की मंजूरी अपेक्षित है।

(ii) 4 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टों की दशा में कलक्टर का अनुमोदन और कमान के मुख्य कमान अधिकारी द्वारा पुष्टि दी जानी अपेक्षित है।

(iii) 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टों की दशा में कलक्टर का अनुमोदन और केन्द्रीय सरकार द्वारा पुष्टि दी जानी अपेक्षित है।

### अनुसूची 15

#### [नियम 37(2) देखिए]

सेना संपदा अधिकारी

मंजूरी रजिस्टर

छावनी बोर्ड

#### प्रकीर्ण स्थल

(आवेदक द्वारा भरे जाने वाला/भूमि के पट्टे के लिए आवेदन का प्ररूप)

सेवा में

सेना संपदा अधिकारी

छावनी

कार्यपालक अधिकारी

तारीख \_\_\_\_\_

महोदय,

मुझे \_\_\_\_\_ के प्रयोजन के लिए \_\_\_\_\_ में स्थित \_\_\_\_\_

एकड़/ \_\_\_\_\_ वर्गमीटर भूमि के पट्टे की मंजूरी के लिए आवेदन करने का गौरव प्राप्त हुआ है।

अपेक्षित क्षेत्र के स्थल का नक्शा संलग्न है।

भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं किया जाएगा और केवल ऐसी

सीमा दीवारें, बाड़ों या झाड़ियों की निर्मिति की जाएगी, जिन्हें पट्टे को मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया जाए।

मैं अनुरोध करता हूँ कि \_\_\_\_\_ वर्ष की अवधि के लिए पट्टा दिया जाए।

मैं भूमि के व्ययन से संबंधित उन शर्तों का जो केन्द्रीय सरकार या ऐसा अन्य प्राधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए नियत करे, अधिरोपित करे पालन करने और भूमि का सर्वेक्षण और सीमांकन करने का खर्च, यदि कोई हो, इस शर्त पर जमा करने के लिए तैयार हूँ कि यदि भूमि अन्ततोगत्वा किसी अन्य व्यक्ति को दे दी जाती है तो मेरे निक्षेप की रकम मुझे वापस कर दी जाएगी।

मेरा अनुरोध है कि भूमि निम्नलिखित कारणों से नीलाम के बिना प्राइवेट करार द्वारा मुझे दे दी जाए।

मैं \_\_\_\_\_ आदि

#### मंजूरी रजिस्टर प्रकीर्ण स्थल

(विहित प्राधिकारी द्वारा भरा जाए, न कि आवेदक द्वारा) सर्वेक्षण संख्यांक और/या अवस्थिति, भूमि का वर्ग, कुल क्षेत्रफल, क्रम संख्यांक, यदि कोई हो।

1. आवेदन की तारीख।
2. वह सीमा, जिसके लिए आवेदन किया गया है।
3. आवेदक का नाम और पता।
4. आवेदन किए गए पट्टे की अवधि।
5. प्रयोजन, जिसके लिए आवेदन किया गया।
6. केन्द्र के कमान अधिकारी का आदेश। बोर्ड के संकल्प की प्रति।
7. कलक्टर की राय।
8. कमान के मुख्य कमान अधिकारी को अग्रेषित।
9. नियम 37 के अधीन केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी का आदेश।
10. सर्वेक्षण और सीमांकन की तारीख और खर्च तथा खर्च के जमा करने की तारीख।
11. किराए की मानक सारणी के अनुसार नियत वार्षिक किराया।
12. पट्टे के संबंध में प्रीमियम के लिए आरक्षित राशि।
13. प्रकाशित नीलाम की सूचना।
14. नीलाम की तारीख।
15. सफल बोली लगाने वाला।
16. बोली की रकम।
17. केन्द्रीय सरकार या नियम 37 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी का आदेश।

(यदि मद सं० 9 के अधीन नीलाम की साधारण प्रक्रिया का आदेश दिया गया है तो मद 10 से 17 को पूरा किया जाए।)

18. पट्टे की संख्या और तारीख।

19. पट्टे के रजिस्ट्रीकरण की तारीख

सेना संपदा अधिकारी

कार्यपालक अधिकारी

तारीख



स्थल का नक्शा

सर्वेक्षण संख्यांक

उपमंडल

क्षेत्रफल

आधार पर सर्वेक्षण और सीमांकन किया गया।

सेना संपदा अधिकारी

कार्यपालक अधिकारी

तारीख

प्रमाणित किया जाता है कि उप-खंड को भारतीय सर्वेक्षण नक्शों में दर्ज कर लिया गया है और साधारण भूमि रजिस्टर में समुचित प्रविष्टि कर दी गई है।

तारीख

सेना संपदा अधिकारी

**अनुसूची 16**

[नियम 28(3), 35(3) और 37(4) देखिए]

सेना संपदा अधिकारी

छावनी बोर्ड

सर्किल

छावनी

..... छावनी

पट्टा सं० \_\_\_\_\_ सर्वेक्षण सं० \_\_\_\_\_ क्षेत्रफल \_\_\_\_\_

सेना संपदा अधिकारी का \_\_\_\_\_ (भवन) \_\_\_\_\_  
छावनी बोर्ड का \_\_\_\_\_ मंजूरी रजिस्टर \_\_\_\_\_ (कृषि) \_\_\_\_\_ स्थल

विशिष्टियां :-

भवन का सं० और नाम . . . . .

कृषि भू-खंड का सं० . . . . .

(अनुसूची सं०) का वर्णन . . . . .

पट्टा

किस प्रयोजन के लिए . . . . .

कितनी अवधि के लिए . . . . .

निष्पादन की तारीख . . . . .

रजिस्ट्रेशन की तारीख . . . . .

समाप्ति की तारीख . . . . .

संश्लेषण भाटक की रकम \_\_\_\_\_ रु० संश्लेषण होने की तारीख \_\_\_\_\_

मूल पट्टेदार का नाम \_\_\_\_\_

नामांतरण :- कैसे प्रभावी हुआ, सभी विवरण दें \_\_\_\_\_

**अनुसूची 17**

[नियम 39(1) देखिए]

\_\_\_\_\_ छावनी में स्थल के अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति

श्री \_\_\_\_\_ पुत्र श्री \_\_\_\_\_

को \_\_\_\_\_ की हैसियत में \_\_\_\_\_ के प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण

संख्या \_\_\_\_\_ में स्थित \_\_\_\_\_ वर्ग राज \_\_\_\_\_ वर्ग फीट

\*(और उस सीमा में जो इसके साथ संलग्न स्थल नक्शों में रेखांकित है) वाले स्थल के अधिभोग के अधिकार की अनुज्ञप्ति \_\_\_\_\_ रु० प्रतिमास/दिन का संदाय करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए दी जाती है :-

(1) इस अनुज्ञप्ति के अधीन दिए गए अधिकार से स्थल में कोई सुखाचार या हित नहीं होगा।

(2) यह अनुज्ञप्ति जब तक कि समाप्ति की पूर्व सूचना न दे दी गई हो, इसके जारी करने की तारीख से \_\_\_\_\_ तक विधिमान्य होगी।

(3) अनुज्ञापक को, यह अधिकार है कि वह अनुज्ञप्तिधारी को \_\_\_\_\_ दिन/मास की सूचना देकर इस अनुज्ञप्ति को पर्यवसित कर दे।

(4) अनुज्ञप्तिधारी को, अनुज्ञप्ति के पर्यवसान के पश्चात् \_\_\_\_\_ सप्ताह तक स्थल पर से किन्हीं सामग्रियों या भवन को हटाने का अधिकार है :

परन्तु यह कि यदि अनुज्ञप्तिधारी स्थल से किन्हीं सामग्रियों या भवनों को इस प्रकार हटाने में असफल रहता है तो वह किसी प्रतिकर के संदाय के बिना केन्द्रीय सरकार/छावनी बोर्ड की संपत्ति हो जाएगी और उसकी बाबत अनुज्ञप्तिधारी का आगे कोई दावा नहीं रहेगा। अनुज्ञप्तिधारी उन्हें हटाने में हुई किसी नुकसानी की प्रतिपूर्ति करेगा।

(5) इस अनुज्ञप्ति को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंतरित या समनुदेशित या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

(6) भूमि का उपयोग इस अनुज्ञप्ति में उल्लिखित प्रयोजन से भिन्न अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाए।

(7) स्थल पर केवल अस्थायी प्रकृति का भवन, यदि मंजूरी दी गई है, तो निर्मित किया जा सकेगा और भवन के निर्माण में ऐसे निर्देशों का पालन किया जाएगा, जो समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाएं।

(8) इस अनुज्ञप्ति के पर्यवसान पर चाहे पर्यवसान की सूचना के अनुसरण में या उसकी समाप्ति पर, केन्द्रीय सरकार/छावनी बोर्ड, अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी प्रकार का कोई संदाय करने के दायित्वाधीन नहीं होगा।

हस्ताक्षर

सेना सम्पदा अधिकारी

तारीख :

\_\_\_\_\_ छावनी बोर्ड

में \_\_\_\_\_ अनुज्ञप्तिधारी, इसके द्वारा अनुज्ञप्ति में अन्तर्विष्ट निबंधनों और शर्तों को, जिसकी मुझे पूर्णतः जानकारी दे दी गई है, स्वीकार करता हूँ।

हस्ताक्षर

\* एक मास की अनुज्ञप्ति की दशा में स्थल नक्शा संलग्न किया जाए।



## अनुसूची 18

[नियम 39(3) देखिए]

**भूमि का अस्थायी अधिभोग करने के लिए अनुज्ञप्तियों का रजिस्टर**  
वर्ष  
छावनी

अनुज्ञप्ति का क्रम संख्याक	सर्वेक्षण संख्या और अवस्थिति	क्षेत्रफल	प्रयोजन, जिसके लिए अनु-ज्ञप्ति दी गई है।	अनुज्ञप्ति-धारी का नाम	अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त की तारीख और सेना अधिकारी या कार्य-पालक अधिकारी के आदेश का संख्यांक और तारीख	अनुज्ञप्ति मंजूर करने वाले छावनी बोर्ड के संकल्प या सेना अधिकारी के आदेश संख्यांक और तारीख	प्रभारित फीस	संग्रहण की तारीख और सेना अधिकारी या कार्य-पालक अधिकारी के आदेश	रसीद संख्या	साधारण रोकड़ बही प्रविष्टि संख्या और तारीख	अधिभोग के पर्यवेक्षण के टोकन में सेना अधिकारी या कार्यपालक अधिकारी के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

टिप्पण : यदि प्रत्येक शीर्ष के लिए पशुओं को चराने के लिए अनुज्ञात करने के लिए अलग-अलग अनुमति देने की प्रणाली प्रवर्तन में है तो इसे पूर्ण और प्रतिपूर्ण वाली बहियों द्वारा किया जाना चाहिए और इस रजिस्टर में दर्ज करना अनावश्यक होगा।

## अनुसूची 19

[नियम 46(2) देखिए]

**केन्द्रीय सरकार के शोध्यों के संबंध में छावनी बोर्ड का रजिस्टर**  
वर्ग "ग" भूमि

क्रम सं०	बोर्ड में निहित केन्द्रीय सरकार के आदेश की संख्या और तारीख	प्रयोजन, जिसके लिए निहित किया गया	केन्द्रीय सरकार को अकाया चालू वर्ष के लिए	संदेय रकम	कालम 4 और कालम 5 का योग	केन्द्रीय सरकार को संदेय रकम, खजाना रसीद की संख्या और तारीख	देय अतिशेष	टिप्पणियां (यदि केन्द्रीय सरकार ने संदेय रकम के लिए कोई तारीख नियत की है तो उसे यहां तारीख देकर बताएं)
1	2	3	4	5	6	7	8	9



## उपाबंध 1

1. अधिसूचना सं० का० नि० आ० 351, तारीख 25 जनवरी, 1958

(अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1635, तारीख 8 नवंबर, 1964, सा० का० नि० एफ 16(1)/74-(न्या०), तारीख 11-9-1974 द्वारा यथासंशोधित), भारत का राजपत्र, तारीख 1 फरवरी, 1958 में प्रकाशित।

केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची के आदेश 27 के नियम 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 1651, तारीख 1 सितंबर, 1953 को अधिकृत करते हुए, इसके द्वारा निम्नलिखित की नियुक्ति करती है:—

(i) इससे उपाबंध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकारियों की ऐसे व्यक्तियों के रूप में, जिनके द्वारा केन्द्रीय सरकार या उसके विरुद्ध सिविल अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में वादों में, वादपत्रों और लिखित कथनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(ii) उपखंड (i) में निर्दिष्ट अधिकारियों में से उन्हें, जिन्हें मामले के तथ्यों की जानकारी है, ऐसे व्यक्तियों के रूप में, जिनके द्वारा ऐसे वादपत्र और लिखित कथन सत्यापित किए जाएंगे।

## अनुसूची 7

## रक्षा मंत्रालय

- सेना भूमि और छावनी संगठन  
निदेशक, सेना भूमि और छावनी  
संयुक्त निदेशक, सेना भूमि और छावनी  
उप निदेशक, सेना भूमि और छावनी  
सहायक निदेशक, सेना भूमि और छावनी  
सेना संपदा अधिकारी  
विशेष सेना संपदा अधिकारी  
विशेष कार्य अधिकारी (दावा) कलकत्ता  
सहायक सेना संपदा अधिकारी
- अधिसूचना सं० सा० का० नि० 3, तारीख 11 फरवरी, 1958  
भारत का राजपत्र, तारीख 15 फरवरी, 1958 में प्रकाशित।

केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची में आदेश 27 के नियम 2 के उपबंधों के अनुसरण में और भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 1652, तारीख 1 सितंबर, 1953 को अधिकृत करते हुए, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० 351, तारीख 25 जनवरी, 1958 से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को इसके द्वारा किसी न्यायिक कार्यवाही के संबंध में उस सरकार के लिए कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

## उपाबंध 2

अधिसूचना सं० सा० का० नि० 585, तारीख 1 फरवरी, 1966

(सा० का० नि० सं० 46, तारीख 10-1-1974, सं० 70, तारीख

26-4-1982 और फा० सं० 17(1)/86-न्या०, तारीख 29-4-1986 द्वारा यथासंशोधित) भारत का राजपत्र तारीख 23 अप्रैल, 1966 में प्रकाशनार्थ (उद्घरण)।

## भाग 2 धारा 3, उपधारा (i)

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 299 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1161, तारीख 1 दिसंबर, 1958 को अधिकृत करते हुए, इसके द्वारा यह निदेश देते हैं कि संघ की कार्यपालक शक्तियों के प्रयोग में किए गए नीचे उल्लिखित संपत्ति की संविदाएं और आश्वासन, उनकी ओर से निम्नलिखित अन्तगार निष्पादित किए जा सकेंगे:—

अ. . . . .

आ. . . . .

इ.5. निम्नलिखित के साथ करार की गई सफाई सेवाओं की संविदाएं:

(i) सफाई व्यवस्थाओं के लिए छावनी बोर्ड, नगर पालिकाओं द्वारा; और

(ii) विशेष सफाई/परिवहन/पशुओं के प्रदाय के लिए प्राइवेट व्यक्ति, केन्द्र के कमान अधिकारी द्वारा।

ई. . . . .

उ. . . . .

ऊ. . . . .

ए. . . . .

ऐ. . . . .

I. छावनी के भीतर मकानों से भिन्न भूमि और अन्य स्थावर संपत्ति से संबंधित संविदाएं और लिखत—

(1) निम्नलिखित के पट्टे, अनुज्ञप्तियां और अभ्यर्पण विलेख—

(क) रक्षा मंत्रालय की ऐसी भूमि, जिसका कार्यपालक प्रशासन छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1937 के अधीन छावनी बोर्ड को नहीं सौंपा गया है, रक्षा संपदा अधिकारी द्वारा।

(ख) रक्षा मंत्रालय की ऐसी भूमि, जिसका कार्यपालक प्रशासन छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1937 के अधीन छावनी बोर्ड को सौंपा गया है, छावनी कार्यपालक अधिकारी द्वारा।

(2) रक्षा मंत्रालय की ऐसी भूमि पर घास काटने और चराने के अधिकारों, खेती, मछली पकड़ने, नौका चालन और वहां से रेत, बजरी, मिट्टी, पत्थर,



भोगाधिकार, वृक्षों और वैसे ही पैदावारों को हटाने के लिए एक समय में, एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति:

(क) जिसका कार्यपालक प्रशासन, छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1937 के अधीन छावनी बोर्ड को नहीं सौंपा गया है; रक्षा संपदा अधिकारी द्वारा ।

(ख) जिसका कार्यपालक प्रशासन, छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1937 के अधीन छावनी बोर्ड को सौंपा गया है; छावनी कार्यपालक अधिकारी द्वारा ।

(3) (क) पुराने अनुदानों और (ख) पट्टे के अधीन भूमि के विक्रय और अंतरण से संबंधित विलेख: रक्षा संपदा अधिकारी द्वारा ।

(3क) रक्षा मंत्रालय की स्थावर संपत्ति की ब्राबत दस्तांतरण विलेख और विक्रय विलेख: संबंधित कमान के रक्षा भूमि और छावनी निदेशक द्वारा ।

(4) भूमि में सरकार के स्वामित्व अधिकारों से संबंधित सभी दस्तावेज: रक्षा संपदा अधिकारी द्वारा ।

(5) सैनिक इंजीनियरी सेवाओं या लोक संकर्म विभागों के नियंत्रणाधीन छावनी में जल प्रदाय प्रणाली के प्राइवेट कनेक्शन के लिए करार: गैरीजन इंजीनियर, उप-खंड अधिकारी द्वारा, यदि वह किसी स्वतंत्र उप-खंड का सहायक कार्यपालक भारसाधक इंजीनियर है या लोक संकर्म विभाग का प्रभागीय अधिकारी है ।

(6) कैंटीन भण्डार विभाग (भारत) को प्रदाय करने या सेवाएं देने का उनसे क्रय करने से संबंधित सभी संविदाएं विलेख और अन्य लिखत: कैंटीन भंडार विभाग (भारत) के प्रशासन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा ।

(7) कैंटीन भण्डार विभाग (भारत) की भूमि और भवनों के पट्टे: कैंटीन भंडार विभाग (भारत) के प्रशासन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा ।

(8) छावनी (गृह आवास) अधिनियम, 1923 के उपबंधों के अधीन सरकार द्वारा विनियोजित गृहों के पट्टे: केन्द्र के कमांडिंग अधिकारी द्वारा ।

ओ. स्थावर संपत्ति (भूमि और भवन) का पट्टा, क्रय करने या विक्रय से संबंधित करार ।

(1) रक्षा सेवाओं की ओर से स्थावर संपत्ति का क्रय या विक्रय करने के लिए करार: रक्षा संपदा अधिकारी द्वारा ।

(2) भाड़े पर ली गई, अधिगृहीत या सरकारी भूमि के संबंध में किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि या स्थावर संपत्ति नहीं है, जिसका प्रबंध रक्षा भूमि और छावनी सेवा को सौंपा गया है, रक्षा मंत्रालय की आस्तियों के विक्रय के करार: रक्षा संपदा अधिकारी द्वारा ।

(3) रक्षा सेवाओं के प्रयोजनों के लिए भाड़े पर ली गई भूमि, भवनों या अन्य स्थावर संपत्ति के करार या पट्टे: उप-निदेशक रक्षा भूमि और छावनी, रक्षा संपदा अधिकारी या ऐसा सहायक रक्षा संपदा अधिकारी जिसके पास किसी उप-सर्किल का स्वतंत्र भार है, द्वारा ।

(4) कैंटीन भंडार विभाग (भारत) की ओर से स्थावर संपत्ति (भूमि और भवन) के क्रय या विक्रय करने के करार: अध्यक्ष, प्रशासन बोर्ड कैंटीन भंडार विभाग (भारत) द्वारा ।

ओ. छावनी से बाहर ऐसे गृह, भूमि और स्थावर संपत्ति से भिन्न, रक्षा मंत्रालय की संपत्ति, जिसका प्रबंध रक्षा भूमि और छावनी सेवा को सौंपा गया है, के संबंधित संविदाएं और लिखत ।

(क) पट्टे, अनुज्ञप्तियां और अभ्यर्पण विलेख: और

(ख) सरकार की भूमि पर घास काटने और पशु चराने के अधिकार, खेती करने, मछली पकड़ने, नौकाचालन और वहां से रेत, बजरी, मिट्टी, पत्थर, भोगाधिकार, वृक्षों और वैसे ही पैदावारों को हटाने के लिए, एक समय में, एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति: रक्षा संपदा अधिकारी या ऐसा संपदा सहायक अधिकारी, जिसके पास किसी उप-सर्किल का स्वतंत्र भार है ।

### उपाबंध 3

#### टीका-टिप्पणियां

(1) नियम 43(iii)— छावनी बोर्ड के साथ करार पर आधारित वाद— वाद, नियम 43(iii) के विरुद्ध नहीं—जहां छावनी बोर्ड के विरुद्ध किसी वाद में वादी का यह दावा था कि उसके द्वारा छावनी बोर्ड के साथ विधिमान्य रूप से किए गए करार के अधीन वह कतिपय अधिकारों का हकदार था, जिसमें प्रतिवादी द्वारा हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई थी और उसने प्रतिवादी को ऐसे दोषपूर्ण हस्तक्षेप से अवरूढ़ करने के लिए व्यादेश की मांग की थी, वाद किसी भी रूप में भारत सरकार की संबंधित भूमि में या छावनी बोर्ड का भी भूमि में स्वामित्व अधिकार को प्रश्नगत या उसको प्रभावित करने के लिए नहीं लाया गया था, अपितु वाद करार के अधीन उसके अधिकार पर पूर्णतः आधारित था, जो सर्वसम्मति से विधिमान्य और पक्षकारों के लिए आबद्धक था । अतः वाद नियम 43(iii) के विरुद्ध नहीं था ।

(ए० आई० आर० 1960 जे० एंड के० 83)



(2) नियम 27—सेना संपदा अधिकारी को दी गई पुराने अनुदानों के विनियमितीकरण के लिए पट्टा देने की शक्ति वैवेकिक है, किन्तु इसे पर्याप्त कारणों से ही नामंजूर किया जाना चाहिए। ए० आई० आर० 1965, एस० सी० 1222 का अनुसरण किया गया। ए० आई० आर० 1970 इला० 357 की अभिपुष्टि की गई। नियम में प्रयुक्त शब्द "सकता है" और सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग विवेकाधिकार देने के लिए किया जाता है और कोई आज्ञापक निदेश उपदर्शित करने के लिए नहीं। इसके अतिरिक्त, सेना संपदा अधिकारी की शक्ति का किसी दूसरे प्राधिकारी के वैवेकिक अनुमोदन या अननुमोदन के अधीन रहते हुए, किसी विवेकाधिकार के बिना सभी मामलों में प्रयोग किए जाने के लिए अपेक्षित होना मान्य नहीं हो सकता है।

(3) नियम 27—छावनी क्षेत्र में भूमि का शाश्वत पट्टा नियम 27 ऐसे व्यक्ति को शाश्वत पट्टा देने का हकदार नहीं बनाता जिसने शाश्वत पट्टे की मंजूरी के लिए उस नियम के अधीन आवेदन किया है। पट्टा दिया जाना चाहिए या नहीं यह नियम में उल्लिखित प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर छोड़ा गया है। नियम में केवल यह उल्लिखित है कि पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदन किए जा सकते हैं और यह कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करता।

(ए० आई० आर० 1970, इला० 357, ए० आई० आर० 1971, एस० सी० 1599, 1977, पट० एल० जे० आर० 97, ए० आई० आर० 1977, पट० 32)

(4) न तो नियम 16 से नियम 26 के कोई उपबंध और न ही नियम 27 का सर्वोपरि खंड इस निष्कर्ष की ओर ले जा सकता है कि नियम 16 से नियम 26 के उपबंध का अवलंब वहां लिया जा सकता है जहां कोई व्यक्ति पहले से ही छावनी में स्थल धारित करता है। ऐसे व्यक्ति के मामले में नियम 27 के उपबंध आकर्षित होते हैं।

(ए० आई० आर० 1970, इला० 357, 1969, इला० एल० जे० 582)

(5) कब्जा—यह कथित है कि कब्जा, विधि की दृष्टि से 9/10 स्वामित्व है। कब्जे के बिना स्वामी केवल मात्र एक दिखावा है जबकि कब्जाधारी व्यक्ति संपत्ति का कई तरह से उपभोग करता है।

(ए० आई० आर० 1987 एस० सी० 180)

(6) पट्टे—निगम छोटे दुकानदारों को भूमि पट्टे पर देती है—पट्टे की समाप्ति पर पट्टेदार बेदखल किया जाता है—कार्रवाई अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती—जीविका के अधिकार का वंचन न होना—वंचन—विबंध का सिद्धान्त भी आकृष्ट नहीं होता है।

(ए० आई० आर० 1987 क 159)

#### उपाबंध 4

### सैनिक प्राधिकारियों के प्रबंधाधीन वर्ग क-1 भूमि

छावनियों में वर्ग ए-1 के निम्नलिखित क्षेत्रों की रक्षा विभाग के पत्र सं० 115/आर/डी-4 तारीख 13 अक्टूबर, 1939, पत्र सं० 1296/आर/डी-4 तारीख 25 नवंबर, 1939 और पत्र सं० 1256/आई०

सी०/डी० 4 तारीख 11 अप्रैल, 1940 द्वारा यथा संशोधित, रक्षा विभाग के पत्र सं० 974-आर/डी-4 तारीख 2 सितंबर, 1938 द्वारा इस नियम के उपनियम (1) के अधीन सैनिक प्राधिकारियों के अपने तत्काल प्रबंध के अधीन होना घोषित किया गया है :—

(क) संलग्न क्षेत्र, जो सरकारी बंगलों, कार्यालयों, कार्यशालाओं, विनिर्माण स्थापनों और अन्य सैनिक भवनों के अहातों के रूप में है। ये क्षेत्र, आईनेन्स विनिर्माण स्थापनों को छोड़कर और उनकी संपदाएं, जब भी रिक्त होंगे, सैनिक इंजीनियरी सेवा के भार में रहेंगे।

(ख) सैनिक फार्में और अश्व प्रदाय विभागों द्वारा धारित भूमि क्षेत्र, जिनके कृत्यों में भूमि का उपयोग और विकास है।

(ग) ऐसे भूमि क्षेत्र, जिन्हें छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1925 के प्रख्यापन से पहले सेना के लिए चारा पैदा करने या भूमि की सफाई या उसे सुधारने के लिए, खेती के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर सैनिक फार्म विभाग को आर्बिट्रि किया गया है।

(घ) प्रदाय डिपो द्वारा दखल किए गए भूमि क्षेत्र।

(ङ) हटा दिया गया।

(च) सैनिक इंजीनियरी सेवाओं द्वारा ईटों के मैदानों या खदानों के रूप में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र और सैनिक इंजीनियरी सेवा जल प्रदाय के जलगामी क्षेत्र।

(छ) इंजीनियरी पार्कों द्वारा दखल किए गए भूमि क्षेत्र।

(ज) सैनिक इंजीनियरी सेवा भाण्डागार यादों द्वारा दखल किए गए भूमि क्षेत्र।

(झ) ऐसे भूमि स्थल जो आईनेन्स महानिदेशक के भारसाधन में कारखाने द्वारा दखल किए गए हैं या जिन्हें कारखानों के विकास के लिए सीमांकित किया गया है।

(ञ) आईनेन्स महानिदेशक के भारसाधन में आईनेन्स कौर स्थापनों और इन स्थापनों से संलग्न संपदाओं द्वारा दखल किए गए भूमि क्षेत्र।

(ट) सेना के विनियमों में यथा उपबंधित सैनिक उद्यान।

(ठ) अस्पताल उद्यान, जिसके अन्तर्गत संपूर्ण अस्पताल का अहाता भी है।

(ड) पशु अस्पताल के अहाते।

(ढ) भारतीय वायु सेना के उतरने के मैदान और विमान क्षेत्रों के उतरने के मैदान।

(प) गोल्फ के मैदानों और घुड़वौड़ के मैदानों से भिन्न सैनिक आमोद-प्रमोद के मैदान।

(त) भारतीय सेना अकादमी, देहरादून द्वारा दखल किए गए भूमि क्षेत्र।



उपरोक्त क्षेत्र, सेना के उस विभाग के भारसाधन में रहेंगे, जो उनके अधिभोगी हैं, सिवाय वायु सेना के उतरने के मैदानों और विमान-क्षेत्रों के उतरने के मैदानों के भागों के, जो सैनिक इंजीनियरी सेवा के भारसाधन में रहेंगे। सैनिक उद्यानों और सैनिक आमोद-प्रमोद के मैदानों को छोड़कर, ऊपर उल्लिखित भूमियों के मदे प्राप्तियों और व्यय का लेखा-जोखा संबंधित विभाग के बजट में दिया जाएगा।

#### उपाबंध 5

### प्रमाणपत्र, अधिक्रमणों का पता चलाना और उसे हटाना

रक्षा मंत्रालय ने सं० 11017/2/76/डी-(भूमि) तारीख 7-10-1977 द्वारा और महानिदेशक, रक्षा भूमि और छावनी ने सं० 744/27/एल एंड सी/77 तारीख 23-11-1977 द्वारा निम्नलिखित अनुदेश/आदेश जारी किए हैं:—

#### (क) सैनिक प्राधिकारियों के उत्तरदायित्व:—

वर्ग ए-1 भूमि पर अधिक्रमणों को हटाने का उत्तरदायित्व भूमि के अधिभोगी सैनिक ईकाई का है। चाहे कहीं वर्ग-1 भूमि का प्रबंध सेना संपदा अधिकारी को सौंपा गया है, वहां सेना संपदा अधिकारी का उत्तरदायित्व ऐसे अधिक्रमणों को, जिसका उसे पता चले, संबंधित सैनिक प्राधिकारियों की जानकारी में लाने तक ही सीमित है। यदि वर्ग ए-1 भूमि के अधिक्रमणों को हटाने के लिए वाद फाइल करना आवश्यक हो जाता है तो सेना संपदा अधिकारी द्वारा सैनिक प्राधिकारियों के अनुरोध पर कार्रवाई की जाएगी।

#### (ख) सेना संपदा अधिकारी का उत्तरदायित्व:—

सेना संपदा अधिकारी, वर्ग ए-2 और बी-4 भूमि पर अधिक्रमणों का पता लगाने और उसे हटाने के लिए उत्तरदायी है।

(ग) छावनी बोर्ड का उत्तरदायित्व:—प्रत्येक छावनी बोर्ड, अपने प्रबंधधीन रखे गए सिविल क्षेत्रों के भीतर वर्ग ख-4 भूमि और उसमें निहित वर्ग ग भूमि पर अधिक्रमणों का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए उत्तरदायी है।

#### II अधिक्रमणों के संबंध में निरीक्षण और प्रमाणपत्र:—

(क) वर्ग क-1 और क-2 भूमि:—सेना संपदा अधिकारी प्रत्येक छावनी के संबंध में वर्ग क-1 और वर्ग क-2 वाली भूमियों के नक्शे और अनुसूचियां रखेगा। प्रत्येक वर्ष, अप्रैल और जुलाई के बीच निम्नलिखित प्रमाणपत्र तैयार करेगा जो केन्द्र के कमान अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जाएगी और उसे नक्शों और अनुसूचियों की शुद्धता के संबंध में भूमि पर किसी अप्राधिकृत संरचनाओं या उस पर अधिक्रमणों से संबंधित रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

#### प्रमाणपत्र

भारत में सैनिक भूमि अर्जन, अभिरक्षा और उसके त्यजन के लिए छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1937 के नियम, 13(3) द्वारा यथा उपांतरित नियमों के नियम 14 के अधीन।

(क) प्रमाणित किया जाता है कि छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1937 के नियम 13(1) के अधीन रखे गए वर्ग "क" भूमि के नक्शे और अनुसूचियां सही हैं।

(ख) भूमि के वर्गीकरण में और छावनी की अलग-अलग धृतियों की सीमाओं में सभी परिवर्तनों को छावनी के साधारण भूमि रजिस्टर में सम्यक् रूप से दर्ज कर लिया गया है।

सेना संपदा अधिकारी

—सर्किल

केन्द्र .....

तारीख .....

केन्द्र के कमान अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर

छावनी की सीमाओं में पूर्ण रूप से कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है और छावनी के भीतर सभी भूमि सैनिक प्रशासन की बाबत केन्द्रीय सरकार के कर्तव्यों के प्रभावीरूप से निर्वहन के लिए अपेक्षित है।

केन्द्र ..... केन्द्र का कमान अधिकारी

ताहीख .....

(ग) सेना संपदा अधिकारी उसके भाराधीन भूमियों पर किसी अप्राधिकृत निर्माण या अधिक्रमण की बाबत प्रत्येक वर्ष अप्रैल और जुलाई के बीच में निम्नलिखित प्रमाणपत्र भी तैयार करेगा और उसे केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

छावनी का नाम .....

प्रमाणित किया जाता है कि सभी वर्ग क-1 भूमि, वर्ग क-2 भूमि और वर्ग ख-4 भूमि, जो मेरे भारसाधन में हैं, का ..... वित्तीय वर्ष के दौरान निरीक्षण कर लिया गया है। जानकारी में आए अप्राधिकृत संरचनाओं, अधिक्रमणों और उसकी बाबत की गई कार्रवाई के ब्यौरे नीचे उपदर्शित किए गए हैं:—

क्र० सं०	वर्गीकरण	वर्णन	क्षेत्रफल	अधिक्रमण का स्वरूप और विस्तार
क	ख	ग	घ	ङ
	अधिक्रमण करने वाले का नाम	वह तारीख, जबसे रह रहा है।	हटाए जाने विनियमित करने के लिए की गई कार्रवाई	टिप्पणियां
	च	छ	ज	झ

हस्ताक्षर .....

(सेना संपदा अधिकारी)

(घ) छावनी कार्यपालक अधिकारी प्रत्येक वर्ष अप्रैल और जुलाई के बीच में छावनी बोर्ड के प्रबंधनाधीन रखी गई या



उसमें निहित भूमियों की बाबत निम्नलिखित प्रमाणपत्र तैयार करेगा और उस पर किसी प्राधिकृत निर्माण या अधिक्रमण को करते हुए इसे केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा :-

छावनी का नाम

प्रमाणित किया जाता है कि सभी दर्ग ख-4 भूमियों और वर्ग "ग" भूमियों का, जिन्हें छावनी बोर्ड के प्रबंधनाधीन रखा गया है या उसमें निहित किया गया है, वित्तीय वर्ष----- के दौरान निरीक्षण कर लिया गया है। जानकारी में आई अप्राधिकृत संरचनाओं, अधिक्रमणों और उनकी बाबत की गई कार्रवाई को नीचे उपदर्शित किया गया है :-

क्र. सं.	वर्गीकरण	वर्णन	क्षेत्रफल	अधिक्रमण का स्वरूप और विस्तार	अधिक्रमण करने वाले का नाम	वह तारीख जबसे रह रहा है।	हटाए जाने विनियमित करने के लिए की गई कार्रवाई	टिप्पणियां
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ

प्रतिहस्ताक्षरित,

अध्यक्ष, छावनी बोर्ड

हस्ताक्षर-----

(छावनी कार्यपालक अधिकारी)

संतोष कुमार,  
सहायक विधायी परामर्शी,  
भारत सरकार।



GMGIPN—PLW—90 Gaz. of India/ND./97—75 Copies.